सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट 2017–18

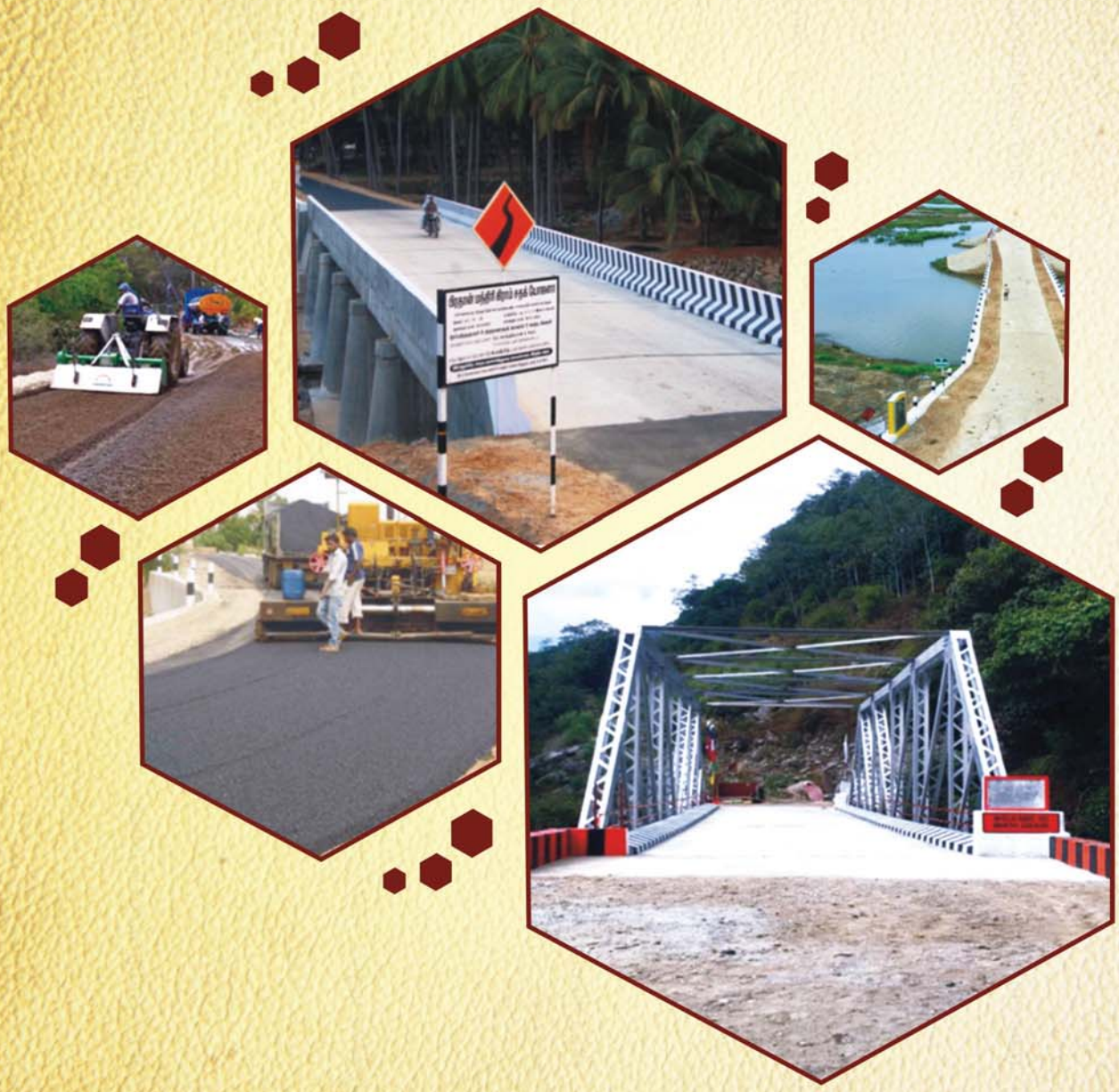

राष्ट्रीय ग्रामीण अवसरचना विकास एजेंसी

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भारत सरकार

विषय– सूची

क्रम स.	अध्याय	पृष्ठ
1.	भूमिका	1
2.	एनआरआरडीए के उद्देश्य	2
3.	संगठनात्मक व्यवस्थाएं	4
4.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	9
5.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन तंत्र	13
6.	गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के तीसरे स्तर का सुदृढ़ीकरण	18
7.	मॉनीटरिंग	18
8.	अनुसंधान और विकास	25
9.	बाह्य सहायता–प्राप्त परियोजनाएं	29
10.	नामिका में हाल ही में शामिल किए गए राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों के लिए अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	44
12.	बजट	47
13.	लेखा एवं लेखा–परीक्षा	47
14.	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	47
15.	**अनुलग्नक**	**49**

1 भूमिका

1.1 सड़कें राष्ट्र में आवागमन का मुख्य साधन हैं और इनसे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। बारहमासी सड़क संपर्क न होना भारत में एक गंभीर समस्या है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। सड़क संबंधी अवसंरचना के अपर्याप्त होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास, कृषि उत्पादकता और रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ता है और गरीबी से इसका करीबी नाता है। राष्ट्रव्यापी ग्रामीण सड़क निवेश कार्यक्रम– प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)–जिसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की पात्र बसावटों में बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है, के कार्यान्वयन द्वारा भारत सरकार इस समस्या का समाधान कर रही है। अवसंरचना के विकास पर व्यापक ध्यान दिए जाने के प्रयोजन से, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए)[1] ने अपर्याप्त ग्रामीण सड़क संयोजकता के प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.2 इस तरह, गरीबी का सतत उन्मूलन सुनिश्चित करने में ग्रामीण सड़क संयोजकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र और राज्य सरकारों ने देश में ग्रामीण बसावटों को टिकाऊ संयोजकता प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं।

ग्रामीण सड़कें हालांकि राज्य सूची का विषय है, परंतु ग्रामीण सड़क संयोजकता के महत्व को पहचानते हुए भारत सरकार ने, 25 दिसंबर 2000 को पूर्णतया केन्द्र द्वारा वित्त पोषित तथा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का शुभारंभ किया था। हालांकि 01.04.2015 से वित्तपोषण पद्धति संशोधित कर दी गई है और अब यह भारत सरकार और संबंधित राज्य के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और विशेष श्रेणी राज्यों में 90:10 अनुपात में अंशदान के रूप में कर दी गई है। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 और इससे अधिक की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है।

विशेष श्रेणी राज्यों (अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर और उत्तराखंड), मरुस्थली क्षेत्रों (जिन्हें मरुस्थल विकास कार्यक्रम में चिन्हित किया गया है), जनजातीय (अनुसूची V) क्षेत्रों और चयनित जनजातीय और पिछड़े जिलों (जिन्हें गृह मंत्रालय और पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा चिन्हित किया गया है) के संबंध में इसका उद्देश्य 250 और इससे अधिक (2001 जनगणना) जनसंख्या वाली पात्र बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान करना है। गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित अधिकांश गहन आईएपी ब्लॉकों के लिए 100 और इससे अधिक की जनसंख्या (जनगणना 2001 के अनुसार) वाली बसावटें पीएमजीएसवाई के तहत शामिल किए जाने हेतु पात्र हैं।

[1] इस एजेंसी की गतिविधियों में आवासीय घटक को शामिल किए जाने के चलते 04 मई 2017 से राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) कर दिया गया है।

1.3 वर्ष 2000 तक लगभग 40% बसावटों में बारहमासी सड़क संयोज्यता उपलब्ध नहीं थी। पीएमजीएसवाई के शुभारंभ के पश्चात, जिला ग्रामीण सड़क योजना (डीआरआरपी) व्यवस्थित रूप से तैयार की गई और कोर नेटवर्क चिन्हित किया गया। कोर नेटवर्क सभी पात्र बसावटों के लिए एकल बारहमासी संयोजन सुनिश्चित करता है। इस योजना प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, 1.59 लाख बसावटों (राज्य योजनाओं के अंतर्गत बसावटों को छोड़कर) को करीब 3.93 लाख किमी अनुमानित लम्बाई की नई सड़कें बनाकर संयोजन प्रदान करने और लगभग 3.73 लाख किमी लंबी मौजूदा सड़कों के उन्नयन का लक्ष्य तय किया गया। इसके अलावा, मूल कोर नेटवर्क में छूट गईं सामान्य मैदानी क्षेत्रों में 500 और इससे अधिक की आबादी वालीं और अनुसूची–V (82 आईएपी के अलावा) तथा बीएडीपी, पहाड़ी राज्यों, रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 और इससे अधिक, और अंतर्राष्ट्रीय सीमांत जिलों के संबंध में अरुणाचल प्रदेश में 250 आबादी वाली अतिरिक्त असंयोजित बसावटों को शामिल करने हेतु हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा किए गए अनुमोदन के चलते 2001 की जनगणना के अनुसार पीएमजीएसवाई के तहत कुल पात्र असंयोजित बसावटों की संख्या 1,78,184 हो गई है ।

1.4 राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) का गठन 14 जनवरी, 2002 को 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम–XXI के तहत किया गया था। एनआरआरडीए का मूल उद्देश्य तकनीकी विशिष्टताओं पर परामर्श, परियोजना मूल्यांकन, गुणवत्ता निगरानी और निगरानी प्रणालियों के प्रबंधन के बारे में सलाह के माध्यम से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना है। मंत्रालय की सहायता करने की दृष्टि से, एजेंसी इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तकनीकी और प्रबंधन सहायता प्रदान करने हेतु एक सुगठित, व्यावसायिक और बहु–विषयी निकाय के रूप में काम कर रही है। एनआरआरडीए की गतिविधियों में आवास संबंधी कामकाज शामिल किए जाने के फलस्वरूप 04 मई 2017 से इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) कर दिया गया है।

2 एनआरआईडीए के उद्देश्य

एनआरआरडीए (अब एनआरआईडीए) का गठन मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया था:

(i) विभिन्न तकनीकी एजेंसियों के साथ विचार–विमर्श करना और ग्रामीण सड़कों के उपयुक्त डिजाइन और विनिर्देशों को अंतिम रूप देना और इसके बाद पुलों और पुलियाओं सहित ग्रामीण सड़कों के डिजाइन और विनिर्देश निर्धारित करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता करना।

(ii) प्रमुख तकनीकी एजेंसियों और राज्यों की तकनीकी एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण करना।

(iii) प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों को, उनको सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए प्रमुख तकनीकी एजेंसियों और राज्य तकनीकी एजेंसियों के रूप में नियुक्त करना।

(iv) जिला ग्रामीण सड़क योजनाओं को तैयार करने में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना।

(v) ग्रामीण विकास मंत्रालय को राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त विचारार्थ प्रस्तावों की संवीक्षा करना या इनकी संवीक्षा की व्यवस्था करना।

(vi) मंत्रालय द्वारा स्वीकृत और राज्यों या संघ शासित प्रदेशों द्वारा उनकी कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे सड़क–कार्यों के निष्पादन पर स्वतंत्र मॉनिटरों के माध्यम से नजर रखना अथवा निरीक्षण करना अथवा निरीक्षण की व्यवस्था करना।

(vii) सरकारी एजेंसियों द्वारा सड़क कार्यों के समुचित निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों के बारे में अनुभव रखने वाले सेवारत या सेवानिवृत्त इंजीनियरों, शिक्षाविदों, प्रशासकों और अन्य एजेंसियों को स्वतंत्र मॉनीटर के रूप में नियुक्त करना।

(viii) निर्माण पूरा करने की समय–सीमा, तकनीकी विनिर्देश, परियोजना मूल्यांकन और गुणवत्ता नियंत्रण विधियों के विशेष संदर्भ में सड़क–कार्यों की प्रगति मॉनीटर करना।

(ix) आंकड़ों के तत्क्षण अवलोकन और स्क्रीनिंग को सुगम बनाने के लिए अद्यतन सूचना प्राप्त करने हेतु, ''ऑन–लाइन प्रबंधन तथा निगरानी प्रणाली'' स्थापित करना जिसमें इंट्रानेट और इंटरनेट–आधारित दोनों प्रणालियां शामिल हों।

(x) राज्यों या संघ शासित प्रदेशों द्वारा सड़क कार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय को आवधिक रिपोर्टें भेजना।

(xi) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राज्यों या संघ शासित प्रदेशों द्वारा बनाई गईं ग्रामीण सड़कों के दोनों ओर फलदायक और अन्य उपयुक्त वृक्षों के रोपण की योजना और ऐसे वृक्षारोपण को मॉनीटर करना।

(xii) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यान्वयन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई धनराशि के संदर्भ में राज्य या संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त व्यय रिपोर्टों के माध्यम से और 'ऑन–लाइन प्रबंधन और निगरानी प्रणाली' के माध्यम से राज्यों या संघ शासित प्रदेशों द्वारा किए गए व्यय की निगरानी करना।

(xiii) प्रायोगिक परियोजनाओं के निष्पादन सहित ग्रामीण सड़कों से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों का जिम्मा लेना।

(xiv) ग्रामीण सड़कों के संबंध में विभिन्न प्रौद्योगिकियों का अध्ययन और मूल्यांकन करना और विविध प्रौद्योगिकियों को शामिल करते हुए प्रायोगिक परियोजनाएँ आरम्भ करना।

(xv) ग्रामीण सड़कों के बारे में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थानों, एजेंसियों या निकायों के साथ मिलकर काम करना।

(xvi) मंत्रालय के साथ–साथ संबंधित राज्य सरकारों अथवा संघ शासित प्रदेशों के ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

(xvii) ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और लागत–मानदंडों में सुधार के उपायों पर सलाह देना।

(xviii) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में किताबें, साहित्य प्रकाशित करना, प्रिंट, श्रव्य या दृश्य–श्रव्य प्रचार सामग्री तैयार करना या इसकी व्यवस्था करना।

(xix) ग्रामीण सड़कों के बारे में कार्यशालाओं और संगोष्ठियों को आयोजित तथा प्रायोजित करना।

(xx) ग्रामीण सड़कों के निर्माण में अपेक्षित उपकरण या मशीनरी खरीदना, लीज या किराए पर लेना।

(xxi) कार्यक्रम के उद्देश्य को हासिल करने और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों, जिन पर अमल किया जाना हो, की आयोजना और कार्यान्वयन में ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता करने के लिए यथा–आवश्यक गतिविधियां शुरु करना।

3. संगठनात्मक व्यवस्थाएं

3.1 एनआरआईडीए की सामान्य सभा में अधिकतम 21 सदस्य होते हैं। इनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण के प्रतिनिधि पदेन सदस्यों के रूप में शामिल हैं। इसके अलावा पंजीकृत निकायों, ग्रामीण सड़कों या राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी के उद्देश्यों में किसी भी उद्देश्य में संलग्न संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ–साथ एजेंसी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने से संबंधित विशिष्ट विशेषज्ञता, योग्यता अथवा अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल रहते हैं।

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री एनआरआईडीए के पदेन अध्यक्ष और सचिव, ग्रामीण विकास पदेन उपाध्यक्ष हैं। रिपोर्टाधीन अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एनआरआईडीए की सामान्य सभा की संरचना इस प्रकार है: –

क्रम	नाम सं.	कार्य–दायित्व एवं पता	एनआरआईडीए में पदनाम
1.	श्री नरेंद्र सिंह तोमर	ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली	अध्यक्ष पेदन
2.	श्री अमरजीत सिन्हा	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली	उपाध्यक्ष पेदन
3.	श्री जयदीप गोविंद[2]	विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली	पदेन सदस्य पदेन सदस्य

[2]श्री अंशु प्रकाश, ए एस एवं एफ ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली (04.12.2017 तक)

4.	सुश्री अलका उपाध्याय[3]	संयुक्त सचिव (आरसी) और मुख्य सतर्कता अधिकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली	महानिदेशक
5	सुश्री सुरभि राय[4]	उप सचिव (आरसी) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली	पदेन सदस्य
6.	श्री अनिल श्रीवास्तव	सलाहकार (परिवहन), कमरा सं. 264 योजना भवन, नीति अयोग, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
7.	श्री मनोज कुमार	महानिदेशक (आरडी) एवं विशेष सचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
8.	श्री देवाशीष पाल	निदेशक, बीआरजीएफ पंचायती राज मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
9.	श्री सिद्धांत दास	महानिदेशक, वन और विशेष सचिव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोदी रोड, नई दिल्ली	सदस्य
10.	श्री राजेश केम्पराई	आयुक्त–सह–विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग, असम सरकार पीओ असम सचिवालय, दिसपुर गुवाहाटी, असम	सदस्य
11.	डॉ एन नागम्बिका देवी	प्रधान सचिव पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग कर्नाटक सरकार सचिवालय, कमरा सं. 311 तीसरा तल, बहुमंजिला इमारत, अंबेडकर रोड बेंगलुरु, कर्नाटक	सदस्य
12.	श्री हसन लाल[5]	प्रधान सचिव, एसआरआरडीए, कमरा संख्या 603, छठी मंजिल, पीडब्ल्यूडी विभाग (सड़क और पुल) पंजाब सरकार , मिनी सचिवालय–2 चंडीगढ़, पंजाब	सदस्य

[3]श्री राजेश भूषण, संयुक्त सचिव (आर सी), ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली (04.09.2017 तक)
[4]श्री प्रिय राजन, निदेशक (आर सी), ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
[5]श्री जसपाल सिंह, प्रधान सचिव, एसआरआरडीए, पीडब्ल्यूडी, पंजाब (22.042017 तक)

13.	श्री दीपक त्रिवेदी	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार कमरा संख्या 67, सचिव भवन, सिविल सचिवालय, लखनऊ (उ.प्र.)	सदस्य
14.	सुश्री मनीषा पंवार	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग उत्तराखंड सरकार , 4 बी, सुभाष रोड, देहरादून, उत्तराखंड	सदस्य
15.	श्री सौरभ कुमार दास	प्रधान सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग पश्चिम बंगाल सरकार संयुक्त प्रशासनिक भवन, ब्लॉक एचसी 7 छठी मंजिल, सेक्टर–111, साल्ट लेक कोलकाता, पश्चिम बंगाल	सदस्य
16.	श्री सतीश चंद्र	निदेशक, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान सीआरआरआई, दिल्ली–मथुरा रोड, नई दिल्ली	सदस्य
17.	डॉ अनूप कुमार मित्तल	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, एनबीसीसी भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली	सदस्य
18.	लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह	महानिदेशक, सीमा सड़क संगठन 274–सीमा सड़क भवन, रिंग रोड, नारायणा, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली	सदस्य सदस्य
19.	प्रो. जी जे जोशी	डीन (अकादमिक), सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एसवीएनआईटी) सूरत, गुजरात	सदस्य
20.	डॉ. महेश कुमार	अभियंता सदस्य, डीडीए, बी–ब्लॉक, प्रथम मंजिल, विकास सदन , निकट आईएनए मार्केट, नई दिल्ली	

सामान्य सभा की पिछली बैठक (23वीं बैठक) 03 फरवरी 2017 को आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास) और एनआरआईडीए के अध्यक्ष ने की थी।

3.2 एनआरआईडीए की कार्यकारी समिति में पदेन अध्यक्ष के तौर पर महानिदेशक, एनआरआईडीए और एनआरआईडीए अध्यक्ष द्वारा नियुक्त अधिकतम सात सदस्य शामिल होते हैं। भारत सरकार और सामान्य सभा द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुसार एजेंसी की सभी कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां समिति के पास निहित हैं। रिपोर्टाधीन अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान एनआरआईडीए की कार्यकारी समिति की संरचना इस प्रकार थीः

क्रम सं.	नाम	कार्य–दायित्व एवं पता	एनआरआईडीए में पदनाम
1.	सुश्री अलका उपाध्याय	संयुक्त सचिव (आरसी) और महानिदेशक (एनआरआईडीए) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन , नई दिल्ली	महानिदेशक पदेन
2.	डॉ. प्रवीण कुमार	प्रोफेसर, परिवहन इंजीनियरिंग अनुभाग सिविल इंजीनियरिंग विभाग आईआईटी, रुड़की	सदस्य
3.	डॉ. एम एस अमरनाथ	प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग जन भारती परिसर, बेंगलुरू विश्वविद्यालय, बेंगलुरू– 560056 (कर्नाटक)	सदस्य
4.	डॉ. अशोक कुमार सरकार	डीन (संकाय) , डिविजन–1 सिविल इंजीनियरिंग विभाग, बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी, राजस्थान	सदस्य
5.	प्रो. के सुधाकर रेड्डी	प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर , पश्चिम बंगाल	सदस्य

6.	श्री चंद्रशेखर	निदेशक (वित्त), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली	सदस्य
7.	डॉ आई के पटेरिया	निदेशक (तकनीकी) एनआरआईडीए, नई दिल्ली	सदस्य
8.	सुश्री शांति प्रिया सरेला	निदेशक (वित्त एवं प्रशासन) एनआरआईडीए, नई दिल्ली	सदस्य

3.3 सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित संगठनात्मक संरचना में 5 प्रभाग हैं। प्रभागों के अनुसार काम का बँटवारा दर्शाते हुए संगठनात्मक रूपरेखा अनुलग्नक–I पर दी गई है। संयुक्त सचिव (आरसी), ग्रामीण विकास मंत्रालय एनआरआईडीए के पदेन महानिदेशक हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित अधिकारी प्रतिनियुक्ति आधार पर एनआरआईडीए में काम कर रहे थेः

1. डॉ. आई के पटेरिया, निदेशक (तकनीकी)
2. श्री उत्तम कुमार, निदेशक (पी–III)
3. श्री पी मोहनसुंदरम, संयुक्त निदेशक (तकनीकी)
4. श्री प्रवीण कुमार भल्ला, उप निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)
5. सुश्री शालिनी दास, संयुक्त निदेशक (तकनीकी)
6. श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक (पी–III)
7. सुश्री टी सुजाता, सहायक निदेशक (तकनीकी)
8. श्री कैलाश कुमार बिष्ट, सहायक निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)
9. श्री सी पी एस यादव, सहायक निदेशक (पी–I), एनआरआईडीए

अधिकारियों और कर्मियों के अन्य पदों के लिए मानव संसाधन सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से कार्मिकों की तैनाती की गई है।

[4]श्रीमती अंजलि सिंह, निदेशक (वित्त एवं लेखा) (22 जुलाई, 2016 तक)

4. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

4.1 आयोजना

4.1.1 जिला ग्रामीण सड़क योजनाएं एवं कोर नेटवर्क:– जिला ग्रामीण सड़क योजना में जिले की विद्यमान समस्त सड़क नेटवर्क प्रणाली शामिल होती है तथा योजना में असंयोजित बसावटों को लागत और उपयोगिता के संदर्भ में मितव्ययी एवं कार्यकुशल ढ़ंग से सड़क संयोजकता उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित सड़कों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाता है। कोर नेटवर्क ग्रामीण सड़कों का वह नेटवर्क होता है जो सभी बसावटों तक मूलभूत एकल बारहमासी सड़क संयोजन उपलब्ध करवाने के लिए आधारभूत होता है। मूलभूत सड़क संयोजन का अर्थ है– किसी बसावट के लिए सभी मौसमों के अनुकूल एकल सड़क संयोजकता उपलब्ध होना है। कोर नेटवर्क के अंतर्गत मौजूदा सड़कों के साथ–साथ असंयोजित पात्र बसावटों तक निर्मित की जाने वाली सड़कें शामिल होती हैं।

4.1.2 सभी राज्य सरकारों को जिला ग्रामीण सड़क योजना तैयार करनी होती है और पीएमजीएसवाई के तहत आयोजना के लिए कोर नेटवर्क को चिन्हित करना होता है। सभी राज्यों से अंतिम कोर नेटवर्क डेटा प्राप्त हो चुका है तथापि कुछ राज्यों ने गहन समीक्षा और मौके पर सत्यापन के बाद संरचना में संशोधन या बसावटों की संयोजन संबंधी स्थिति बदलने के लिए कोर नेटवर्क की समीक्षा करने की आवश्यकता व्यक्त की है। कुछ राज्यों ने मौके पर सत्यापन के लिए मंजूरी ली है और तदनुसार कोर नेटवर्क में आवश्यक बदलाव किए हैं। कुछ राज्यों ने गांव के बजाय बसावट को संयोजन की इकाई मानते हुए (ऐसे राज्यों में पहले गांव को संयोजन की इकाई माना गया था) कोर नेटवर्क को संशोधित कर लिया है।

4.1.3 पीएमजीएसवाई–II के लिए जिला ग्रामीण सड़क आयोजना का पुनरीक्षण

पीएमजीएसवाई–II के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी राज्यों को 2011 के जनगणना आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिला ग्रामीण सड़क आयोजना (डीआरआरपी) के पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है। सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश पीएमजीएसवाई–I के तहत नई संयोजकता के 100: और सभी पात्र उन्नयन परियोजनाओं के 75% सौंपने (90% लंबाई की मंजूरी मिलने के बाद) के पश्चात पीएमजीएसवाई–II के तहत मंजूरी मांगने के लिए पात्र हो जाएंगे। अलग–अलग राज्य अलग–अलग समय पर पीएमजीएसवाई–II के लिए पात्र बन सकेंगे। 2017–18 तक, तेरह (13) राज्यों ने पहले ही अपने डीआरआरपी को पुनरीक्षित कर लिया है और पीएमजीएसवाई–II के तहत परियोजनाएं मंजूर करा ली हैं। ये 13 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तेलंगाना, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और केरल हैं।

4.1.4 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संयोजकता परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूई)

सुरक्षा दृष्टिकोण से उन जिलों जो वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित हैं, में ग्रामीण सड़क संयोजकता में सुधार के लिए, ''वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संयोजकता परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूई)'' को पीएमजीएसवाई के तहत संयोजकता प्रदान करने के लिए एक अलग सहवर्ती योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है । इसमें सुरक्षा और संचार की दृष्टि से महत्वूपर्ण वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक पीड़ित 44 जिलों और आसपास के जिलों में, पुलियाओं और आर–पार जल–निकासी संरचनाओं के साथ ऐसी बारहमासी सड़कें तैयार की जाती हैं जो सभी मौसमों में काम आ सकें। ''एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संयोजकता परियोजना'' जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को संरक्षक मंत्रालय के रूप में चिन्हित किया गया है। आरसीपीएलडब्ल्यूई के कार्यान्वयन की प्रस्तावित अवधि 4 वर्ष अर्थात 2016–2017 से 2019–20 तक है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सड़कोंधजिलों की सूचियों और जानकारी के अनुसार ''वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संयोजकता परियोजना'' की परिकल्पना गई है। इसमें वामपंथी उग्रवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित 35 जिले जो देश में कुल वामपंथी उग्रवादी हिंसा का 90% सहते हैं और सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण आसपास के 9 जिले शामिल हैं। ''वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संयोजकता परियोजना'' के अंतर्गत सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य जिला सड़कों (ओडीआर), ग्रामीण सड़कों (वीआर) का निर्माण और मौजूदा मुख्य जिला सड़कों (एमडीआर) का उन्नयन शामिल है। सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इन सड़कों पर 100 मीटर लंबाई तक के पुलों की भी अनुमति है। राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों से गहन परामर्श कर, लंबी परामर्श प्रक्रिया के बाद गृह मंत्रालय द्वारा ''वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संयोजकता परियोजना'' के तहत निर्माणाधीन सड़कों को चिन्हित किया गया है।

इस परियोजना के तहत, 2017–18 के दौरान 4134.69 किमी लंबाई की 268 सड़कों और 181 पुल/आर–पार जल–निकासी को समाहित करते हुए 4466.87 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के निर्माणध्उन्नयन को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृतियों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक–II** पर हैं।

4.2 तकनीकी सहायता

4.2.1 प्रमुख तकनीकी एजेंसियां:– तकनीकी सहायता प्रदान करने और अनुसंधान परियोजनाओं का जिम्मा लेने, विभिन्न तकनीकों का अध्ययन और मूल्यांकन करने और ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता

और लागत मानदंडों में सुधार के उपायों पर सलाह देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और अन्य प्रमुख तकनीकी संस्थानों सहित सात प्रमुख तकनीकी एजेंसियों (पीटीए) को नियुक्त किया गया था। प्रमुख तकनीकी एजेंसियों की सूची **अनुलग्नक–III** पर है।

4.2.2 **राज्य तकनीकी एजेंसियां**:– राज्य सरकारों की सिफारिशों और कतिपय पूर्व–निर्धारित पात्रता मानकों के आधार पर प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों को राज्य तकनीकी एजेंसियों (एसटीए) के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य तकनीकी एजेंसियां (एसटीए) राज्य सरकारों द्वारा तैयार परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा करती हैं और उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं। राज्य तकनीकी एजेंसियों द्वारा की गई संवीक्षा से परियोजना स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी होती है और पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन में एक निश्चित स्तर का तकनीकी अनुशासन और सख्ती स्थापित होते हैं, साथ ही यह राज्य प्राधिकरणों के लिए प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक है। 31.03.2018 के अनुसार राज्य तकनीकी एजेंसियों की सूची **अनुलग्नक–IV** पर दी गई है।

4.3.1 परियोजना संवीक्षा तथा स्वीकृति

राज्यों द्वारा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और राज्य तकनीकी एजेंसियों के अनुमोदन के पश्चात इन्हें एनआरआईडीए को भेज दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्तावों को कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, एनआरआईडीए इन प्रस्तावों की परीक्षण जांचें और आगे की संवीक्षा करता है। इन संवीक्षित प्रस्तावों को 'अधिकार–प्राप्त समिति' के समक्ष विचारार्थ रखा जाता है। वर्ष 2017–18 के दौरान 'अधिकार प्राप्त समिति' द्वारा 49105.48 किमी लंबाई (11257 सड़क निर्माण कार्य और 1784 पुल) समाहित करते हुए कुल 30857.02 करोड़ रुपए के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इनका राज्यवार विवरण **अनुलग्नक–V** पर हैं।

4.3.2 प्रत्यक्ष उपलब्धियां

कार्यक्रम की शुरुआत से 31 मार्च 2018 तक, 5,50,601 किमी की लंबाई वाली नई संयोजकता और उन्नयन के माध्यम से 1,37,877 बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, 48,751 किलोमीटर लंबाई की नई संयोजकता और उन्नयन के माध्यम से 11,499 बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया है। राज्यवार विवरण **अनुलग्नक–VI और VII** में दिए गए हैं ।

2017–18 तक पीएमजीएसवाई का संचयी संयोजकता रुझान

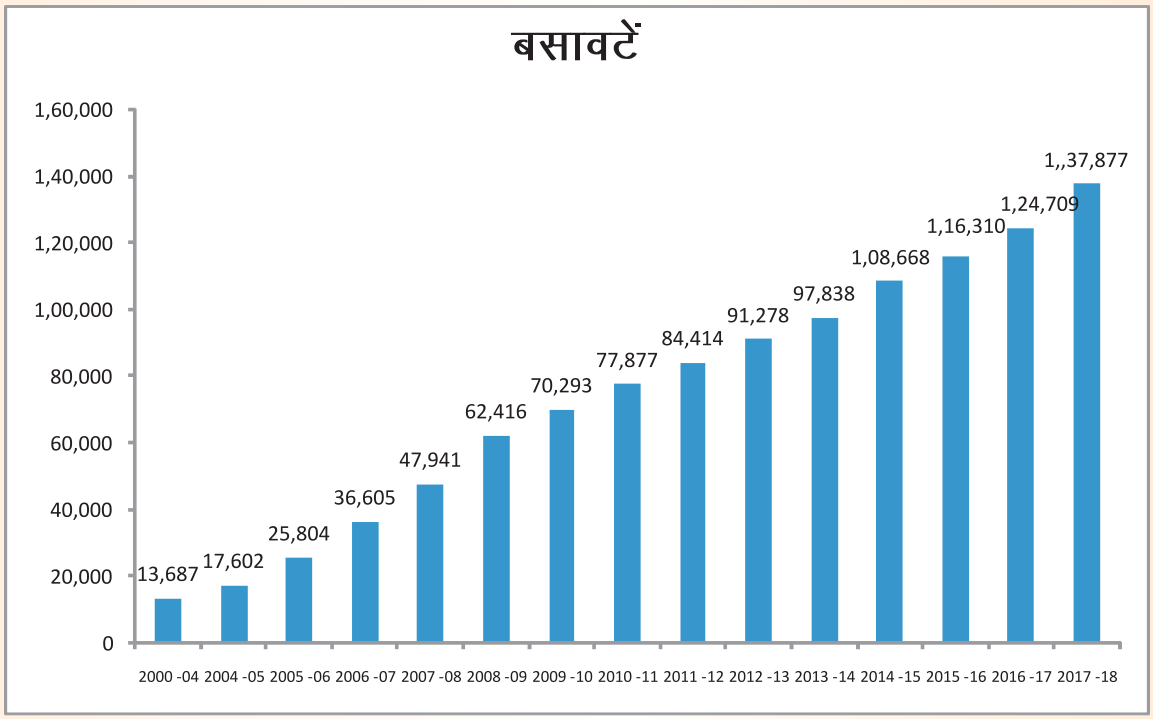

2017–18 तक पीएमजीएसवाई का संचयी संयोजकता रुझान

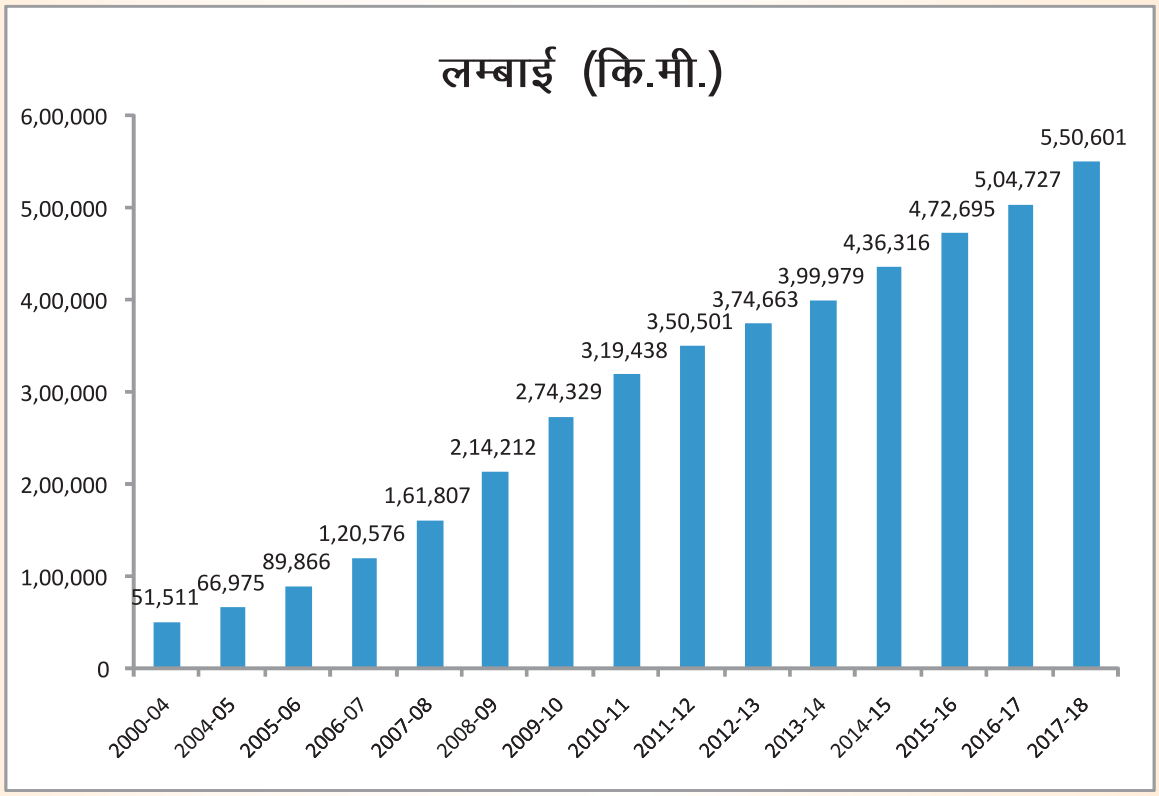

4.4 पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों का रखरखाव

कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सड़क परिसंपत्तियों का टिकाऊपन सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2003 से निर्माण अनुबंध के साथ–साथ पांच वर्ष के लिए निर्माण रखरखाव अनुबंध का अनिवार्य प्रावधान भी लागू किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्यों में रखरखाव गतिविधियों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है, ऐसा तंत्र विकसित किया गया है जिसमें राज्यों को इस कार्यक्रम के तहत निधि तभी जारी की जाएगी जब संबंधित राज्य सरकारों द्वारा एसआरआरडीए बैंक खातों में रखरखाव निधियां जारी कर दी जाएंगी। मंत्रालय रखरखाव निधि की उपलब्धता और राज्यों द्वारा व्यय की निगरानी भी कर रहा है। राज्य की प्रतिबद्धता और प्रत्येक सड़क पर अपेक्षित व्यय के अनुसार रखरखाव निधि की उपलब्धता पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी एवं लेखांकन प्रणाली में प्रावधान भी शामिल किया गया है। राज्यों को इस हेतु भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने राज्य के लिए विशिष्ट ग्रामीण सड़क रखरखाव नीति (आरआरएमपी) बनाएं। 2017–18 तक, 24 राज्यों ने ग्रामीण सड़क रखरखाव नीति तैयार की है। 2017–18 के दौरान आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, तेलंगाना और ओडिशा ने अपनी रखरखाव नीति तैयार की है।

5. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन तंत्र

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में पीएमजीएसवाई के तहत बनाए गए सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तीन स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन तंत्र की परिकल्पना की गई है। इस तंत्र के पहले दो स्तरों का जिम्मा संबंधित राज्य सरकारों का है और तीसरे स्तर के तहत, एनआरआईडीए पीएमजीएसवाई परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए बिना किसी क्रम के चयनित स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर (एनक्यूएम) को काम पर लगाता है। पीएमजीएसवाई का उद्देश्य ''अच्छी बारहमासी सड़कें'' प्रदान करना है और इसलिए कार्यक्रम की कार्यान्वयन रणनीति ''गुणवत्ता'' शब्द पर केंद्रित है।

ii) कार्यक्रम दिशा–निर्देशों के अनुसार, सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी कार्यक्रम को लागू कर रही राज्य सरकारों की है। एनआरआईडीए ने निर्माण के दौरान प्रयुक्त सामग्री और कारीगरी के संबंध में गुणवत्ता आश्वासन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सामान्य दिशानिर्देश जारी किए हैं और गुणवत्ता आश्वासन हैंड बुक निर्धारित की है। गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के दूसरे और तीसरे स्तर के तहत स्वतंत्र मॉनीटरों द्वारा कार्यों के निरीक्षण के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। निरीक्षणों को विश्वसनीय बनाने के लिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दूसरे और तीसरे स्तर पर स्वतंत्र मॉनीटर, प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए कम से कम

10 जियो–मुद्रित डिजिटल फोटोग्राफ जरूर लें जिनमें से एक फोटोग्राफ स्थानिक प्रयोगशाला का हो और ये फोटोग्राफ्स ओएमएमएएस वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं ताकि इस कार्यक्रम के तहत पूरे किए जाने वाले सड़क कार्यों की गुणवत्ता को आम जनता द्वारा सुगमता से देखा जा सके। प्राप्त अनुभव के आधार पर, समय–समय पर इन दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाती है और इन्हें संशोधित किया जाता है।

iii) यह परिकल्पना की गई है कि निर्माण, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के मूल एवं प्राथमिक कार्यों के निर्वहन के प्रथम स्तर के गुणवत्ता प्रबंधन का काम परियोजना कार्यान्वयन इकाईयां करें। गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के पहले स्तर के तहत प्रत्येक पैकेज के लिए ठेकेदार द्वारा स्थापित साइट गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की निगरानी करके आंतरिक तंत्र के माध्यम से और यह सुनिश्चित करके कि निर्दिष्ट व्यक्तिध्प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समय और स्थान पर अनिवार्य परीक्षण किए जाएं, गुणवत्ता मानकों का अनुपालन किया जाता है। इसके अलावा, यदा–कदा किए जाने वाले परीक्षणों के लिए स्थानिक प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने के लिए राज्यों में राज्य स्तरीय के साथ जिलों में जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं की भी स्थापना की गई है।

iv) दूसरे स्तर के तहत, राज्य स्तर पर गुणवत्ता की स्वतंत्र निगरानी एसआरआरडीए के नियंत्रण में निर्धारित की गई है। एसआरआरडीए मुख्यालय में राज्य गुणवत्ता समन्वयक (एसक्यूसी) से यह अपेक्षित है कि वह कार्यान्वयन इकाइयों से अलग राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों (एसक्यूएम) को तैनात करके कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करें। ये एसक्यूएम अपने निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निरीक्षण करते हैं और कार्यों के जियो–संदर्भित फोटोज के साथ गुणवत्ता ग्रेडिंग के सारांश को ओएमएमएएस पर अपलोड करते हैं। ये राज्य गुणवत्ता मॉनीटर स्थानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की भी जांच करेंगे। दिशानिर्देशों के अनुसार, यह प्रयास किया जाना चाहिए कि राज्य गुणवत्ता मॉनीटर (एसक्यूएम) द्वारा प्रत्येक सड़क कार्य का निरीक्षण कम से कम तीन बार किया जाए। प्रत्येक काम के पहले दो निरीक्षण कम से कम तीन महीने के अंतराल पर तब किए जाने चाहिए जब काम चल रहा हो और अंतिम निरीक्षण काम पूरा होने के बाद जल्द से जल्द परंतु अधिमानतः काम पूरा होने के 4 महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

वर्ष 2017–18 के दौरान, निरीक्षणों के लिए 35217 के लक्ष्य के मुकाबले एसक्यूएम द्वारा कुल 40215 निरीक्षण किए गए जो कि निरीक्षण संबंधी लक्ष्य का 113.93% है। निर्माणाधीन, पूरे हो चुके, अनुरक्षण श्रेणी के सड़क कार्यों एवं पुल परियोजनाओं को मिलाकर एसक्यूएम निरीक्षणों के आधार पर परियोजनाओं का गुणवत्ता ब्यौरा आगे दिया गया है:

2017–2018 की अवधि के दौरान एसक्यूएम निरीक्षणों का ब्यौरा

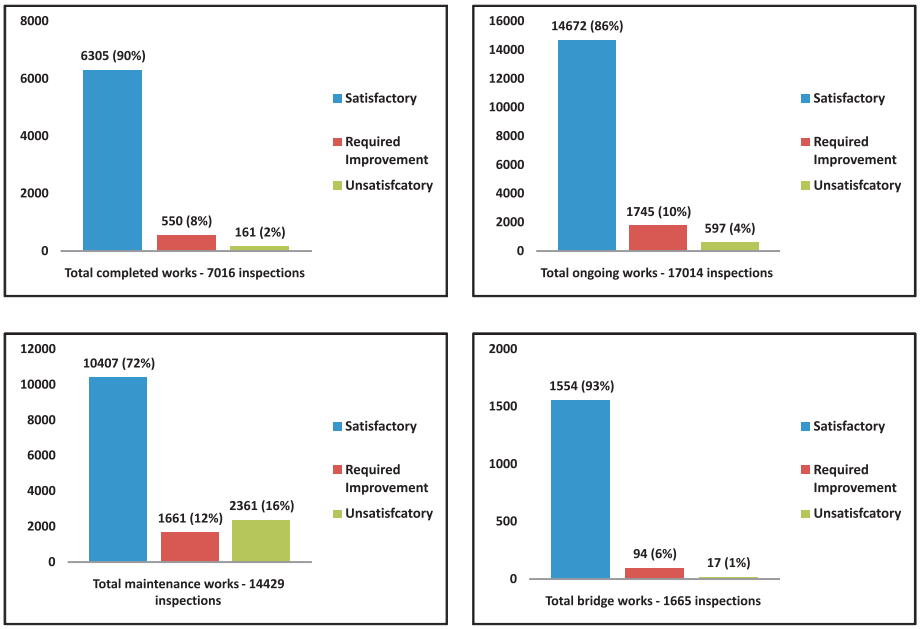

v) गुणवत्ता तंत्र का तीसरा स्तर एनआरआईडीए द्वारा केंद्रीय स्तर पर संचालित होने वाला स्वतंत्र निगरानी तंत्र है। तीसरे स्तर की गुणवत्ता तंत्र का उद्देश्य राज्यों द्वारा पूरे किए गए सड़क कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए सड़क निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप हों और यह भी परखा जा सके कि राज्यों में गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र प्रभावी हो। इस स्तर की भूमिका ''गलतियाँ ढूँढ़ने'' के बजाय राज्य कार्यान्वयन मशीनरी और स्थानिक इंजीनियरों को मार्गदर्शन प्रदान करना है। इस स्तर के तहत, सेवानिवृत्त वरिष्ठ इंजीनियर जिन्हें राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर (एनक्यूएम) कहा जाता है, सड़क कार्यों के निरीक्षणों हेतु काम पर रखे जाते हैं। निरीक्षण के लिए निर्माण कार्यों का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाता है। इस स्तर का मूल उद्देश्य राज्य के गुणवत्ता आश्वासन तंत्र में सामने आने वाले पद्धतिगत मुद्दों को चिन्हित करना और विनिर्देशों और अच्छे निर्माण व्यवहारों की बेहतर समझ के संबंध में स्थानिक स्टाफ को मौके पर मार्गदर्शन प्रदान करना है। वर्ष 2017–18 के दौरान, 8500 के लक्ष्य के मुकाबले एनक्यूएम द्वारा कुल 9212 निरीक्षण किए गए, जो कि लक्ष्य का 108. 37% है। निर्माणाधीन, पूरे हो चुके, अनुरक्षण श्रेणी के सड़क कार्यों एवं पुल परियोजनाओं को मिलाकर एनक्यूएम निरीक्षणों के आधार पर परियोजनाओं का गुणवत्ता ब्यौरा आगे दिया गया है:

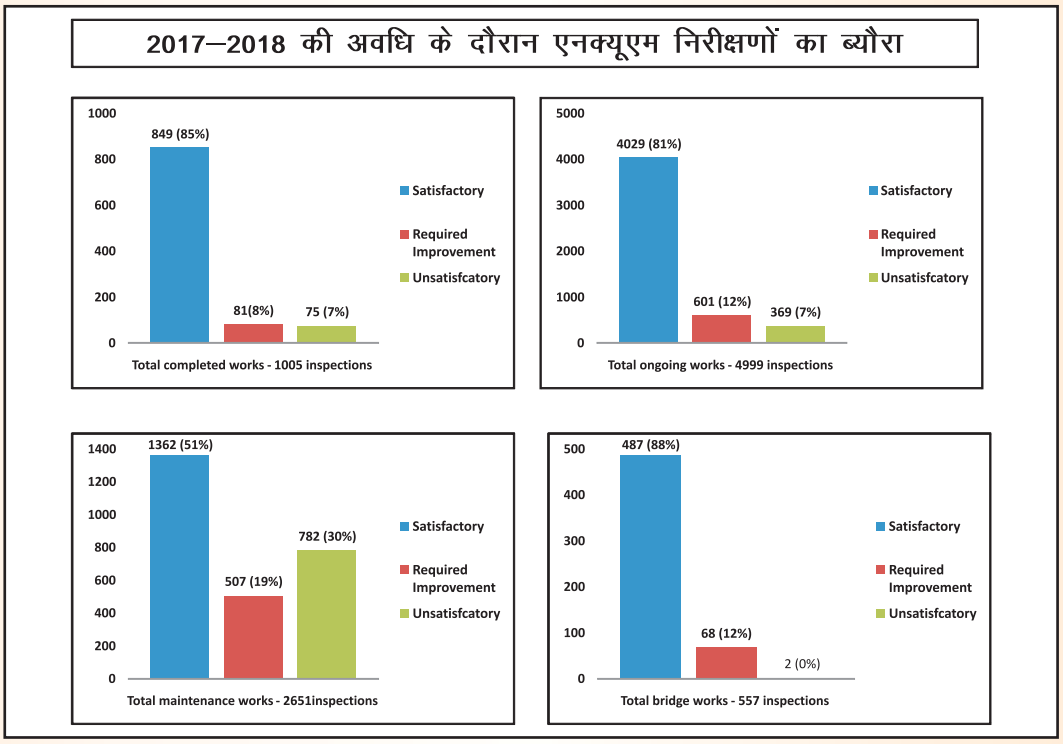

vi) राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उनके स्थानिक निरीक्षणों के दौरान एनक्यूएम द्वारा 'संतोषजनक लेकिन सुधार की आवश्यकता (एसआरआई)' और 'असंतोषजनक (यू)' के रूप में वर्गीकृत निर्माण कार्यों के संबंध में 'कार्यवाई रिपोर्ट (एटीआर)' भेजें। 'कार्यवाई रिपोर्टों (एटीआर)' पर आगे एनआरआईडीए में कार्रवाई की जाती है और सड़क निर्माण कार्य की फोटोज सहित दस्तावेजी प्रमाणों और एसक्यूएम द्वारा मौके पर सत्यापन के आलोक में एसआरआरडीए की सिफारिशों के आधार पर श्रेणी में सुधार के बारे में निर्णय लिया जाता है।

vii) वर्ष 2017–18 की अवधि दौरान कार्रवाई रिपोर्टों (एटीआर) की स्थिति निम्नलिखित है:–

वर्ष	कुल एटीआर (राज्यों द्वारा प्रस्तुत)	स्वीकृत	स्वीकृतजिनमें स्पष्टीकरण/सत्यापन/तकनीकी समिति की आवश्यकता थी
2017-18	1726	1648	78

6.(क) गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के तीसरे स्तर का सुदृढीकरण

स्वतंत्र चयन समिति जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (आरडी) की अध्यक्षता में प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों/संगठनों के 8 व्यावसायिक सदस्य शामिल हैं, की सिफारिशों के आधार पर 2017–18 के दौरान 31 नए एनक्यूएम को सूचीबद्ध किया गया है।

एनक्यूएम की बढ़ी हुई संख्या के साथ, तीसरे स्तर के तहत निरीक्षणों की संख्या वर्ष 2013–14 में 2,977 एनक्यूएम निरीक्षणों के मुकाबले वर्ष 2017–18 में 9,212 एनक्यूएम निरीक्षणों तक सतत रूप से बढ़ी है, जिसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

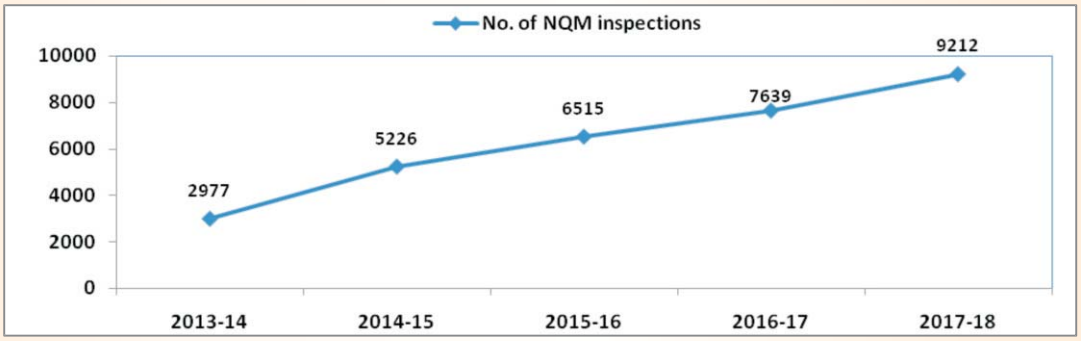

स्रोत: *www.omms.nic.in*

विभिन्न अवधियों में एनक्यूएम निरीक्षणों में बढ़ौतरी दर्शाता ग्राफ

नए राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों का नामिकायन

(प) 17 अप्रैल 2017 को आयोजित चयन समिति की 21वीं बैठक

उम्मीदवारों के कार्य–अनुभव विवरणों की संवीक्षा के बाद समिति ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर के रूप में नामिकायन के लिए 21 उम्मीदवारों की सिफारिश की। इन 21 उम्मीदवारों में से 15 अनिवार्य तीन दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम पूरा कर चुके थे और इन्होनें एनक्यूएम के रूप में कार्य संभाल लिया है।

(पप) 13 नवंबर 2017 को आयोजित चयन समिति की 22वीं बैठक

उम्मीदवारों के कार्य–अनुभव विवरणों की संवीक्षा के बाद समिति ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर के रूप में नामिकायन के लिए 22 उम्मीदवारों की सिफारिश की। इन 22 उम्मीदवारों में से 16 अनिवार्य तीन दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम पूरा कर चुके थे और इन्होनें एनक्यूएम के रूप में कार्य संभाल लिया है ।

वर्तमान एनक्यूएम की कार्य–निष्पादन की समीक्षा

एनक्यूएम व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त बनाए रखने की दृष्टि से इंजीनियरिंग कॉलेजों के वरिष्ठ प्रोफेसरों, जो प्रधानध्राज्य तकनीकी एजेंसियों (पीटीए/एसटीए) के रूप में कार्यक्रम से जुड़ें हैं, की सदस्यता वाली कार्य–निष्पादन मूल्यांकन समिति (पीईसी) के माध्यम से मौजूदा एनक्यूएम के कार्य–निष्पादन का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाता है। पीईसी निर्धारित मानदंडों के आधार पर एनक्यूएम की रिपोर्टों का मूल्यांकन कर इनपर अपनी अभ्युक्तियां देती है और इनका वर्गीकरण करती है। इन अभ्युक्तियों को चयन समिति के समक्ष उनकी सिफारिशों के लिए रखा जाता है।

18–20 सितंबर 2017 के दौरान आयोजित 14 वीं पीईसी बैठक में, 41 एनक्यूएम के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया था। उनमें से 10 एनक्यूएम को उत्कृष्ट, 14 एनक्यूएम को संतोषजनक, 10 एनक्यूएम को साधारण और 7 एनक्यूएम को असंतोषजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

6.(ख) गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के दूसरे स्तर का सुदृढीकरण

2017–18 में नामिकागत एसक्यूएम की संख्या 774 थी। एसक्यूएम की संख्या में बढ़ौतरी के साथ दूसरे स्तर के निरीक्षणों की संख्या में वर्ष 2013–14 में 21,113 के मुकाबले वर्ष 2017–18 में 40,127 तक सतत बढ़ौतरी हुई है, जिसे नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:

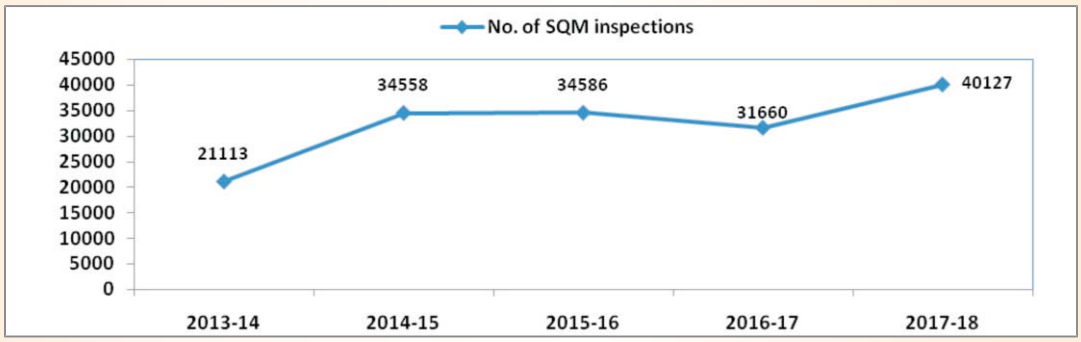

स्रोत: *www.omms.nic.in*

विभिन्न अवधियों में एसक्यूएम निरीक्षणों में बढ़ौतरी दर्शाता ग्राफ

वर्तमान एसक्यूएम के कार्य–निष्पादन की समीक्षा

सभी राज्यों को कार्य–निष्पादन मूल्यांकन समिति के माध्यम से एसक्यूएम के कार्य–निष्पादन का आवधिक मूल्यांकन करने की सलाह दी गई है । तद्नुसार, संबंधित राज्यों द्वारा असंतोषजनक एसक्यूएम का नामिकायन रद्द किया जाता है।

7. मॉनीटरिंग

7.1 ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस)

पीएमजीएसवाई के पूरे कार्यक्रम की निगरानी प्रभावी ढंग से करने और अधिक दक्षता, जवाबदेही और कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) का प्रावधान किया गया है। पीएमजीएसवाई योजना के कार्यान्वयन में आयोजना, अनुक्रमण, मॉनीटरिंग, ट्रैकिंग और कार्य–निष्पादन की प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं को ओएमएमएएस सुगम बनाता है। ओएमएमएएस के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने वाले अधिकारियों, गुणवत्ता मॉनीटरों, जिला परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों, एनआरआईडीए और ग्रामीण विकास मंत्रालय की आवश्यकताओं को पूरा करने के इरादे से इसे विकसित किया गया है।

ओएमएमएएस अनुप्रयोग की अवधि के साथ–साथ इसके उपयोग को ध्यान में रखते हुए तथा प्रचालनों के स्तर पर बदलावों सहित प्रयोक्ताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर और प्रौद्योगिकी के

संदर्भ में नवीनतम विकास के दृष्टिगत, ओएमएमएएस को समय–समय पर पुनः संरचित और पुनः विकसित किया जाता है।

ओएमएमएएस 2.0 की विशेषताएं

- **जेनेरिक डिजाइन**– विभिन्न किस्म की निधियों (कार्यक्रम निधि, प्रशासनिक खर्च निधि, अनुरक्षण निधि) का लेखा–जोखा रखने के लिए जेनेरिक डिजाइन। इसमें रोकड़ बही को एजेंसी–अनुसार और स्ट्रीम–अनुसार रखा जा सकता है। एक जैसी योजनाओं के लेखों के रखरखाव के लिए इस प्रणाली का आसानी से विस्तार किया जा सकता है।

- **होम पेज का विस्तार**– पीएमजीएसवाई योजना की विहंगम तस्वीर ओएमएमएएस होम पेज पर दर्शाई गई है, जहां स्वीकृति, वास्तविक प्रगति और वित्तीय व्यय की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

- **अधिकार–प्राप्त समिति के लिए ब्रीफ**– डिजिटल इंडिया का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, ओएमएमएएस के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति हेतु वेब आधारित ब्रीफ तैयार किया जाता है, जिसमें इस योजना के अंतर्गत दी गई स्वीकृतियों, वास्तविक प्रगति, वित्तीय प्रगति, गुणवत्ता निरीक्षण के साथ–साथ वर्तमान प्रस्तावों की सड़क–वार स्थिति के वर्तमान और पुराने आंकड़े देखे जा सकते हैं।

- **ओएमएमएएस में ई–भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन**– ओएमएमएएस का ई–भुगतान मॉड्यूल जिला परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों को यह सुविधा प्रदान करता है कि वे सुगम और सुरक्षित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से ठेकेदार को भुगतान कर सकें। इस प्रणाली में एक बार ई–भुगतान विवरण दर्ज किए जाने और इसे अंतिम रूप देने के बाद, ई–भुगतान का निर्देश सुरक्षित प्रारूप में प्रत्यायित बैंक को सीधे चला जाता है और बैंक तत्क्षण ही उस निर्देश के आधार पर ठेकेदार के खाते में राशि अंतरित कर सकता है।

- **ओएमएमएएस में डिजिटल हस्ताक्षर का कार्यान्वयन**– बैंकों को अधिक विश्वसनीय और दक्ष तरीके से भुगतान संबंधी सूचनाएं भेजने और ओएमएमएएस पर अपलोड किए गए आंकड़ों की प्रामाणिकता मजबूत बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि ई–भुगतान मॉड्यूल में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) का इस्तेमाल किया जाए और इसका इस्तेमाल राज्यों द्वारा ओएमएमएएस के माध्यम से ई–भुगतान मॉड्यूल के माध्यम से भुगतान करने के लिए किया जाना चाहिए।

- **गुणवत्ता निगरानी मोबाइल एप्लिकेशन**– सुविधा को लंबे स्पैन वाले पुलों के निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर के गुणवत्ता मॉनीटरों के साथ–साथ सभी राज्यों के राज्य स्तरीय गुणवत्ता मॉनीटरों तक विस्तारित किया गया है।

- **भूमिका पर आधारित डैशबोर्ड**– ओएमएमएएस प्रयोक्ता को उसकी भूमिका के आधार पर पठनीय और सरलता से विश्लेषित किए जा सकने वाले प्रारूप में मॉड्यूल के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत करता है।

- **सरल प्रचालन के साथ एक ही पृष्ठ पर कार्य**– प्रचालकता प्रचालन में सरलता की दृष्टि से सभी मॉड्यूलों की संरचना इस प्रकार की गई है कि एक ही पृष्ठ पर सभी आवश्यक विवरण उपलब्ध हो जाएं। अन्य रिकार्डों के विवरण देखने के लिए भी पृष्ठ से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होती। निर्दिष्ट भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के अनुसार प्रयोक्ता के लिए मेन्यू उपलब्ध रहते हैं जिससे वे आसानी से एक मॉड्यूल से दूसरे मॉडयूल में आ–जा सकें।

- **ओएमएमएएस में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संयोजकता परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूई) योजना का प्रावधान**–

1. आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए ''वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संयोजकता परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूई)'' योजना के तहत स्वीकृत कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए ओएमएमएएस में प्रावधान किया गया है।

2. इसमें ग्रामीण सड़कें (आरआर), गांव की सड़कें (वीआर), अन्य जिला सड़कें (ओडीआर) और मुख्य जिला सड़कें (एमडीआर) शामिल हैं।

3. ओएमएमएएस में आरसीपीएलडब्ल्यूई योजना शामिल की गई है। आरसीपीएलडब्ल्यूई योजना के तहत परिष्कृत डीआरआरपी, कोर नेटवर्क, प्रस्ताव, अनुबंध और लब्धियां और भुगतान मॉड्यूल भी इसमें शामिल हैं।

- **अन्य अनुप्रयोगों के साथ ओएमएमएएस का एकीकरण** –

1. **दिशा (जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समितियां)**: परियोजना आंकड़ें, एनएसपी चरण प्रोफाइल आंकड़े, लंबित स्वीकृत कार्य, स्वीकृत बसावट की ग्रेडिंग सहित राज्यवार सारणी, लक्षित बसावटों तथा तैयार बसावटों के आंकड़े दिशा अनुप्रयोग पर उपलब्ध करवाना ।

2. **डीओआरडी (जिला ग्रामीण विकास एजेंसी)**: डीओआरडी अनुप्रयोग जिसमें ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं के लिए एक एकल डैशबोर्ड विकसित किया गया है, पर पीएमजीएसवाई के आंकड़े उपलब्ध करवाना ।

3. **विराट (वर्चुअल एप्लिकेशन ट्रैकर)**: ई–गवर्नेंस के लिए आम नागरिकों की सहभागिता के लिए विकसित किया गया मोबाइल एप्लिकेशन जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की स्थितियों की पुनर्प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। पीएमजीएसवाई के आंकड़े विराट मोबाइल एप्लीकेशन को उपलब्ध कराये गये ।

- **पीएमजीएसवाई–II के लिए प्राथमिकता मैट्रिक्स**– एसआरआरडीए लॉग–इन के तहत विकास गणना मैट्रिक्स सृजित करने की सुविधा प्रदान की जाती है जिसे उन जिलों को निर्दिष्ट किया जा सकता है जिन पर ये लागू होते हों। पीएमजीएसवाई–II के तहत बसावटों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए विकास गणना का इस्तेमाल किया जाता है। यह मैट्रिक्स पहले से निर्धारित मानदंडों पर आधारित है।

- **लेखांकन कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मॉड्यूल**– लेखांकन कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मॉड्यूल के माध्यम से एसआरआरडीए तुलन–पत्र के बारे में एनआरआईडीए अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियोंध्प्रतिक्रिया को ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने की सुविधा प्रदान की जाती है। एसआरआरडीए तुलन–पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए एनआरआईडीए इससे संबंधित दस्तावेजों को भी अपलोड करता है। एनआरआईडीए द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर एसआरआरडीए सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं और इस मॉड्यूल के माध्यम से एनआरआईडीए को ऑनलाइन प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकते हैं।

- **टिकटिंग मॉड्यूल**– टिकटिंग मॉड्यूल का विकास तकनीकी मुद्दों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने और प्रयोक्ताओं द्वारा ओएमएमएएस से संबंधित उठाए गए मुद्दों की ट्रैकिंग के लिए किया गया है। इस मॉड्यूल के माध्यम से इन मुद्दों को अनुपालन के लिए सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित कर दिया जाता है। मुद्दों की स्थिति की निगरानी के लिए एनआरआईडीए के लिए एक व्यापक प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की गई है।

- **खातों का स्वतः बंद होना** – ओएमएमएएस के तहत खातों के अद्यतनीकरण को सुव्यवस्थित करने और खातों को समय पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने के लिए खातों का स्वतः बंद होना क्रियान्वित किया गया है। प्रत्येक महीने की 5वीं तारीख को, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) के पिछले माह के खाते स्वतः ही बंद हो जाते हैं और अनंतिम वाउचरों के चलते यदि किसी पीआईयू के खाते बंद नहीं किए जाते हैं, तो इनकी सूची एनआरआईडीए को प्रतिलिपि के साथ संबंधित राज्य की राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एसआरआरडीए) को प्रेषित की जाएगी। इसी प्रकार हर महीने की 10वीं तारीख को एसआरआरडीए के खाते स्वतः बंद हो जाते हैं और लंबित खातों, यदि कोई हों, की सूची एनआरआईडीए को प्रतिलिपि के साथ संबंधित एसआरआरडीए को प्रेषित की जाएगी।

- **निधि स्थिति निगरानी रिपोर्टें**– राज्यों को एनआरआईडीए द्वारा जारी निधि की स्थिति जानने के लिए निधि स्थिति निगरानी रिपोर्ट विकसित की गई है। इस रिपोर्ट में संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए सभी राज्यों द्वारा प्राप्त निधि, व्यय, जमा आदि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध रहती है।

- इनके साथ एक केंद्रीय वेबसाइट भी विकसित की गई है, जो पीएमजीएसवाई योजना, इसके दिशानिर्देशों, एजेंसियों, भूमिका और जिम्मेदारियों आदि का विवरण उपलब्ध करवाती है और इस पर www.pmgsy.nic.in से पहुंचा जा सकता है।

7.2 समीक्षा बैठकें

राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए, सभी राज्यों को शामिल करते हुए क्षेत्रीय स्तर पर नौ समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। इन समीक्षा बैठकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय, एनआरआईडीए और राज्यों/एसआरआरडीए के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दूसरे दिन, कुछ विशिष्ट राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों, राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों,

राज्य तकनीकी एजेंसियों के साथ प्रधान तकनीकी एजेंसियों को भी राज्य केंद्रित तकनीकी चर्चाओं के लिए आमंत्रित किया गया । 2017–18 के दौरान आयोजित क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:–

दिनांक	स्थान	शामिल किए गए राज्य
1–2 जून, 17	शिमला, हिमाचल प्रदेश	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड
21–22 जून, 17	चेन्नई, तमिलनाडु	आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना
14–15 जुलाई, 17	पुणे, महाराष्ट्र	गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान
10–11 अगस्त, 17	भुवनेश्वर, उड़ीसा	बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल
5 सितंबर, 17	नई दिल्ली	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा
23–24 नवंबर, 17	भोपाल, मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
18–19 जनवरी, 18	उदयपुर, राजस्थान	गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर और उत्तराखंड
24–25 जनवरी, 18	हैदराबाद, तेलंगाना	आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना
9 फरवरी, 18	रांची, झारखंड	बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल

7.3 पारदर्शिता और नागरिक निगरानी

(क) केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम)

http://pgportal.gov.in के माध्यम से उपलब्ध केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) कार्यक्रमों और योजनाओं की जमीनी स्तर पर प्रभावी और समयबद्ध निगरानी और क्रियान्वयन के लिए नागरिकों के साथ दोतरफा संचार को मजबूत करने हेतु सरकार का एक महत्वपूर्ण साधन है।

High Level Bridge at Murukkodai, District-Theni, TN

ग्रामीण विकास मंत्रालय से सीपीग्राम पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति की एनआरआईडीए द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और अंततः इन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित एसआरआरडीए को अग्रेषित किया जाता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि गुणवत्ता पहलुओं से समझौता किए बिना इन शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाए। कार्यक्रमों/योजनाओं और प्रशासनिक गतिविधियों से संबंधित अपनी चिंताओं को व्यक्त करने हेतु इस पोर्टल का उपयोग करने के लिए आम नागरिकों का स्वागत है।

2017–18 (अप्रैल 2017–मार्च 2018) की अवधि के दौरान, सीपीग्राम पोर्टल के माध्यम से 1044 शिकायतें प्राप्त की गई हैं, जिनमें से 870 शिकायतों का निपटारा कर लिया गया है। 174 लंबित शिकायतों को त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्यों को भेज दिया गया है।

(ख) पीएमजीएसवाई परियोजनाओं पर नागरिकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन ''मेरी सड़क''

ई–प्रशासन और डिजिटल भारत के उद्देश्यों को साकार करते हुए माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने 20 जुलाई 2015 को मोबाइल एप्लिकेशन ''मेरी सड़क'' लांच किया। यह मोबाइल एप्लिकेशन नागरिकों को इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के प्रमुख साधन ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) में जियो–संदर्भित फोटोज के साथ पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के बारे में अपनी प्रतिक्रिया/शिकायतें पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है।

मोबाइल एप्लिकेशन ''मेरी सड़क'' को गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है और इसे पीएमजीएसवाई की कार्यक्रम वेबसाइट omms.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। यह मोबाइल ऐप हिंदी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं:– असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलगु में भी उपलब्ध है।

प्रतिक्रिया/शिकायत के सफलतापूर्वक प्रस्तुत होने पर, नागरिकों को अपने मोबाइल पर एक विशिष्ट फीडबैक संख्या प्राप्त होगी जिससे वे अपनी शिकायत के निवारण की स्थिति को स्वंय मॉनीटर कर सकते हैं।

इस एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रियाओं/शिकायतों को संभालने के लिए संबंधित राज्यों के राज्य गुणवत्ता समन्वयक (एसक्यूसी) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

शिकायत/प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद 7 दिनों के भीतर नागरिकों को अंतरिम जवाब दिया जाता है और 60 दिनों की अवधि के भीतर मामले पर कार्रवाई पूरी कर दी जाती है।

इस मोबाइल ऐप ने लोगों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की है और मार्च 2018 तक 9,54,447 लोगों ने इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है।

वर्ष 2017–18 (अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक) की अवधि के दौरान 'मेरी सड़क' के माध्यम से 25,532 सुझाव/शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से पीएमजीएसवाई से संबंधित 8,269 सुझावों/शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों के पास अग्रेषित किया गया और शेष 17,263 सुझावों/शिकायतों को शिकायतकर्ताओं को वापस लौटा दिया गया क्योंकि वे पीएमजीएसवाई सड़कों से संबंधित नहीं थे। कुल 8,269 स्वीकृत सुझावों/शिकायतों में से 8,265 शिकायतों के लिए अंतिम उत्तर दिया जा चुका है और शेष शिकायतों के लिए अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

East Godavari - Construction of bridge across creek at Rameswaram of Allavaram

7.4 गुणवत्ता आश्वासन हैंडबुक (क्यूएएचबी) का संशोधन

श्री एससी शर्मा, महानिदेशक सड़क मार्ग (सेवानिवृत्त), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं निदेशक, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) की अध्यक्षता में अपने–अपने क्षेत्रों के अन्य विशेषज्ञों को सदस्य के तौर पर शामिल करते हुए क्रमशः एक विशेषज्ञ समूह और एक पीयर समूह गठित किए गए और इन्हें जनवरी 2014 में प्रकाशित ग्रामीण सड़कों की संशोधित विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए गुणता आश्वासन हैंडबुक (क्यूएएचबी) के खंड–I एवं II की समीक्षा का कार्य सौंपा गया । नई प्रौद्योगिकियों जैसे कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकी, कचरा प्लास्टिक, मोडिफाइड बिटुमन, स्थिरीकृत सब–बेस, फ्लाई ऐश का इस्तेमाल और रिफ्लेक्टिव सड़क संकेत इत्यादि के इस्तेमाल पर दिशानिर्देशों को समाविष्ट करते हुए गुणवत्ता आश्वासन हैंडबुक (क्यूएएचबी), के खंड–I जिसमें गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और गुणवत्ता नियंत्रण अपेक्षाएं शामिल हैं

और खंड–II जिसमें परीक्षण उपकरण और परीक्षण प्रक्रियाएं शामिल हैं, को दिसंबर 2016 में अद्यतित किया गया है। पीएमजीएसवाई के तहत पुलों को बड़ी संख्या में दी गई मंजूरी के चलते पुलों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों और प्रक्रियाओं पर अलग से एक अध्याय दिया गया है।

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मई 2017 को विज्ञान भवन में गुणवत्ता आश्वासन हैंडबुक खंड I एवं खंड II के संशोधित संस्करणों का लोकार्पण किया। इस दस्तावेज की सॉफ्ट प्रतिलिपियां और हार्ड बाउंडड प्रतिलिपियां सभी राज्यों, राज्य तकनीकी एजेंसियों, प्रधान तकनीकी एजेंसियों और राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों को प्रदान की गई हैं। हैंडबुक की सॉफ्ट कॉपी को www.pmgsy.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

7.5 ओएमएमएएस के माध्यम से गुणवत्ता निगरानी प्रणाली में नई पहल

(i) ओएमएमएएस के माध्यम से उन ठेकेदारों की अपवाद रिपोर्टें तैयार किया जाना जिसके द्वारा किए गए निर्माण कार्यों का निरीक्षण राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों द्वारा एक बार भी नहीं किया गया हो।

(ii) ओएमएमएएस पर ऐसा मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है जिससे जन प्रतिनिधि द्वारा पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्टों को अपलोड किया जा सके।

(iii) ओएमएमएएस में राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों को मासिक आधार पर ऑनलाइन भुगतान किए जाने की प्रणाली विकसित की जा रही है।

8. अनुसंधान एवं विकास

8.1 नई सामग्रियों/अवशिष्ट सामग्रीध्स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए ग्रामीण सड़कों के निर्माण में मितव्ययी, स्थानीय रूप से संगत, पर्यावरण–अनुकूल और तीव्र निर्माण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एनआरआईडीए ने मई 2013 में 'प्रौद्योगिकी

पहलों पर दिशानिर्देश' जारी किए हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे ऐसी नई प्रौद्योगिकियों जिनके लिए भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के विनिर्देश पहले से उपलब्ध हैं, का प्रयोग करते हुए वार्षिक प्रस्तावों की कम से कम 10% लंबाई प्रस्तावित करें और वार्षिक प्रस्तावों में 5% अतिरिक्त लंबाई ऐसी नई प्रौद्योगिकियों के लिए प्रस्तावित करें जिनके लिए आईआरसी द्वारा मान्यता प्राप्त सामग्रियों सहित आईआरसी विनिर्देश उपलब्ध नहीं हैं। इन दिशानिर्देशों की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. राज्य तकनीकी एजेंसियों (एसटीए) से परामर्श करके सड़कों और इनमें इस्तेमाल योग्य प्रौद्योगिकी को चिन्हित किया जाना।

2. नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके बनाई सड़कों का अन्य पक्ष के माध्यम से कम से कम 18 महीने की अवधि के लिए निष्पादन मूल्यांकन।

3. विभिन्न नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के लिए राज्यों और राज्य तकनीकी एजेंसियों के अधिकारियों का केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली और अन्य प्रमुख तकनीकी एजेंसियों (पीटीए) के माध्यम से प्रशिक्षण।

4. दो एवं तीन स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से क्षमता निर्माण।

5. स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का जीआईएस के मंच पर मानचित्रण।

6. बोली–प्रक्रिया दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन ।

7. नई प्रौद्योगिकियों के लिए मैनुअल और हैंडबुक तैयार करना ।

8. नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोक्ताओं के लिए पुरस्कार प्रणाली ।

8.1.1 नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एनआरआईडीए द्वारा पूर्व में निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

(i) राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे नियमित प्रस्तावों के साथ प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाओं को भी प्रस्तुत करें। राज्यों से प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा के बाद उन्हें तकनीकी प्रदर्शन के लिए अधिकार–प्राप्त समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

(ii) पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण में नई प्रौद्योगिकियों और गैर परंपरागत सामग्रियों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के बाद, कचरा प्लास्टिक और कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकी जैसी

आईआरसी अनुमोदित प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन में तेजी लाने की दृष्टि से मंत्रालय ने मई 2013 में पहले ही जारी किए जा चुके अपने दिशानिर्देशों के अलावा दिनांक 30 मार्च 2017 के परिपत्र सं पी–10021/2/2007–तकनीकी के तहत राज्यों के लिए 10,082 किलोमीटर का वार्षिक लक्ष्य तय किया है **(अनुलग्नक–VIII)।**

ये प्रौद्योगिकियां पर्यावरण अनुकूल हैं और इनमें या तो अतिरिक्त लागत की आवश्यकता ही नहीं होती अथवा स्वीकृत लागत से परे बेहद कम अतिरिक्त लागत की आवश्यकता होती है।

(iii) एनआरआईडीए/मंत्रालय द्वारा पहले से स्वीकृत प्रस्तावों को भी राज्य परंपरागत विधि के बजाय कचरा प्लास्टिक/कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकी या किसी अन्य नई प्रौद्योगिकियों में बदलने के लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं।

(iv) जहां सीबीआर 3 से कम हो वहां राज्यों से मृदा स्थिरीकरण तकनीकों को अपनाने का अनुरोध किया जाता है और राज्य तकनीकी एजेंसियां यह सुनिश्चित करती हैं कि समुचित मृदा स्थिरीकरण तकनीकें प्रस्तावित की जाएं।

(v) राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वे अपने वार्षिक प्रस्तावों में आईआरसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी सामग्री/प्रौद्योगिकी का प्रयोग में लाने वाली प्रायोगिक परियोजनाएँ शुरू करें।

8.1.2 नई प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाएं

राज्यों को ऐसी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाएं प्रस्तावित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनमें जूट या कयर, कोल्ड इमल्शन प्रयुक्त कोल्ड मिक्स तकनीक, फ्लाई ऐश, स्टील तथा आयरन स्लेग, स्थिरीकरण एजेंट के रूप में चूने तथा सीमेंट का उपयोग तथा आईआरसी द्वारा मान्यता प्राप्त नई सामग्री प्रयोग में लाई जा रही हो। नई प्रौद्योगिकी पहलों पर मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद कई राज्यों से विविध नई प्रौद्योगिकियों को इस्तेमाल में लाने वाले परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान, अधिकार–प्राप्त समिति की सिफारिशों पर, मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई–I और II के तहत 15,758 किलोमीटर की नई प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। राज्यवार विवरण **अनुलग्नक IX** में दिया गया है ।

8.2 जीआईएस प्लेटफार्म पर उपांतिक सामग्री का मानचित्रण

कचरा सामग्री सहित स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के जीआईएस प्लेटफार्म पर मानचित्रण के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली को एक परियोजना सौंपी गई है। परियोजना को एनआरआईडीए द्वारा वित्त पोषित किया गया है और इसे शुरुआत में संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से बिहार और मध्यप्रदेश के दो–दो जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

8.3 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत अनुसंधान एवं विकास पहलों के लिए दिशानिर्देशः– अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्तावों को पीएमजीएसवाई के तहत वित्त पोषण के लिए प्रस्तुत किए जाने और एनआरआईडीए में इनके मूल्यांकन के संबंध में दिशानिर्देशों को एनआरआईडीए की स्थायी सलाहकार समिति द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है। पीएमजीएसवाई के तहत एसटीए/पीटीए/किसी भी अन्य संगठन द्वारा अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने संबंधी प्रारूप और 6 महीने तक की मासिक प्रगति रिपोर्टों के साथ–साथ अंतिम परियोजना समापन रिपोर्ट के प्रारूपों को भी उक्त स्थायी सलाहकार समिति ने अंतिम रूप दिया है। तदनुसार, अलग–अलग संस्थानों से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं प्राप्त की गई हैं और इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा इसकी संवीक्षा के बाद, तीन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया जा रहा हैः–

(i) **आईआईटी, भुवनेश्वर–** ग्रामीण सड़कों के लिए स्थिरिकृत आधारों/उप–आधारों के साथ पेवमेंटों का निष्पादन मूल्यांकन– परियोजना लागतः रु. 33.60 लाख। परियोजना की अवधि 2 वर्ष की है। एक मूल्यांकन चक्र पूरा हो चुका है। 31 मार्च 2019 तक परियोजना पूरी होने की संभावना है।

(ii) **एनआईटी, सिलचर–** मणिपुर में ग्रामीण सड़कों में गैर–मानक स्थानीय सामग्रियों के प्रयोग पर व्यवहार्यता अध्ययन। परियोजना लागत : रु. 9.125 लाख। परियोजना की अवधि 1 वर्ष थी। रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

(iii) **एनआईटी, रायपुर–** छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ चयनित पीएमजीएसवाई सड़क खंडों का निष्पादन मूल्यांकन। परियोजना लागत : रु. 41.90 लाख। परियोजना की अवधि 6 महीने की थी। अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

8.4 पीएमजीएसवाई परियोजनाओं में फ्लाई ऐश के उपयोग को सुविधाजनक बनाने हेतु उपाय

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) की दिनांक 27 जनवरी 2016 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप बिजली संयंत्रों को 300 किमी के दायरे में पीएमजीएसवाई की सड़क निर्माण परियोजनाओं और सरकार के परिसंपत्ति निर्माण कार्यक्रम जिसमें इमारतों, सड़कों, बांधों और तटबंधों का निर्माण शामिल है, की साइट तक फ्लाई ऐश की ढुलाई का पूरा खर्च वहन करना होगा।

सड़कों के निर्माण में फ्लाई ऐश के प्रयोग के बारे में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की यह अधिसूचना फ्लाई ऐश के निपटारे की समस्या को आंशिक रूप से सुलझाने में बहुत उपयोगी होगी।

8.5 त्वरित पेवमेंट परीक्षण के माध्यम से पेवमेंट निर्माण में वैकल्पिक सामग्री के रूप में फ्लाई ऐश के प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी के विकास पर अनुसंधान एवं विकास परियोजना

परियोजना की कुल लागत 424.05 लाख रुपए है (इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का योगदान 354.05 लाख रुपए और ग्रामीण विकास मंत्रालय का योगदान 70 लाख रुपए है)। परियोजना की अवधि 36 महीने की है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने परियोजना की अंतरिम प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और 15 दिसंबर 2018 तक अंतिम परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

9. बाह्य सहायता–प्राप्त परियोजनाएं

9.1 विश्व बैंक से सहायता–प्राप्त परियोजनाएं: –

(i) ग्रामीण सड़क परियोजना–II के तहत ऋण (आरआरपी–II)

आरआरपी–II कार्यक्रम सेक्टर–वार दृष्टिकोण पर आधारित है। इस परियोजना की अवधि फरवरी 2011 से अप्रैल 2018 तक (7 वर्ष) है। परियोजना के दो घटक हैं:

– कार्यक्रम वित्त पोषण – 1,375 मिलियन अमरीकी डालर

- 8 राज्य– हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार इसमें शामिल हैं।
- कुल 8,323 बसावटों को शामिल किया जाएगा। 24,174 किमी लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

– संस्थागत सुदृढ़ीकरण – 25 मिलियन अमरीकी डालर।

14 जनवरी 2011 को विश्व बैंक से 1.4 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत सरकार की हिस्सेदारी सहित परियोजना का विवरण **तालिका–6** में नीचे दिया गया है

तालिका–6

क्रम सं.	राज्य	संशोधित आवंटन मिलियन अमरीकी डालर	आरआरपी–II के तहत स्वीकृत परियोजनाएं		पूरी की गई लंबाई (कि. मी. में)
			लंबाई (कि.मी. में)	राशि (करोड़ रू में)	
1.	हिमाचल प्रदेश	112	763	2,249	1726
2.	झारखंड	223	1,911	3954	2952
3.	मेघालय	100	804	1,114	392
4.	पंजाब	136	1,147	2,295	2294
5.	राजस्थान	358	3,220	11,485	10524
6.	उत्तर प्रदेश	247	1,917	4,709	4486
7.	उत्तराखंड	167	1,002	2,166	1937
8.	बिहार	244	1,655	2,292	1901
कुल	1,587	12,419	30,264	26212	

(ii) ग्रामीण सड़क परियोजना–II (आरआरपी–II) के तहत ऋण– अतिरिक्त वित्तपोषण

राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास एजेंसी मूल आरआरपी II परियोजना के तहत शुरु किए गए संस्थागत मजबूती के एजेंडे को जारी रखने के उपाय के रूप में विश्व बैंक वित्त पोषण के तहत एक अतिरिक्त वित्त पोषण परियोजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। कुल ऋण राशि 500 मिलियन अमरीकी डालर है और इतना ही हिस्सा भारत सरकार का रहेगा। अतिरिक्त वित्त पोषण परियोजना में त्रिपुरा को जोडकर 9 राज्य शामिल हैं।

अंतरर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के साथ भागीदारी

विभिन्न राज्यों में ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण प्रबंधन के लिए सहायता विस्तारित करने हेतु एनआरआईडीए ने दिसंबर 2016 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के साथ नया समझौता किया। आईएलओ के साथ यह समझौता फरवरी 2018 में आईएलओ समापन होने तक चल रहा था। इस अवधि के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां पूरी की गईं,

i. सात राज्यों–आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और ओडिशा ने 2017–18 के दौरान अपनी रखरखाव नीति को अधिसूचित किया।

ii. राज्यों द्वारा ग्रामीण सड़कों की रखरखाव निधि जुटाने पर 24 जुलाई 2017 को एक मार्गदर्शन नोट प्रकाशित किया गया।

iii. आरंभ नामक मोबाइल ऐप विकसित किया गया और इसे सड़क सामग्री सूची और सड़क की स्थिति के सर्वेक्षण के लिए लॉन्च किया गया। यह एप्लिकेशन वार्षिक सड़क अनुरक्षण योजनाओं की तैयारी और निगरानी के लिए सड़क सामग्री सूची तैयार करने, सड़क की स्थिति के सर्वेक्षण और लागत अनुमान तथा अन्य प्रासंगिक आंकड़े तैयार करने में जीआईएस आधारित मानचित्रण की सहायता करता है।

iv. निष्पादन आधारित अनुरक्षण अनुबंध और सामुदायिक आधारित अनुरक्षण अनुबंध के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करना। इन अभिनव अनुरक्षण अनुबंधों को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चरण–I में प्रायोगिक कार्यक्रम के तौर पर शुरु किया गया था। इस पहल की सफलता के साथ, इस प्रायोगिक कार्यक्रम को चरण–II के हिस्से के रूप में 16 राज्यों में अनुमानित 1085 किमी तक विस्तारित कर दिया गया। इन 16 राज्यों में से अधिकांश राज्यों में प्रायोगिक योजनायें शुरू हो गईं हैं।

v. आईसीईएमए के सहयोग से प्रोटोटाइप कृषि ट्रैक्टर–ट्रेलर आधारित कोल्ड मिक्स सड़क पैचिंग वाहन विकसित किया गया। प्रोटोटाइप का नमूना आधार पर परीक्षण किया गया।

(II) पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों की बी2 नागरिक निगरानी

बेंगलुरू स्थित गैर सरकारी संगठन पब्लिक अफेयर्स सेंटर (पीएसी) को एनआरआईडीए और एसआरआरडीए के सहयोग से ''पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों की नागरिक निगरानी'' परियोजना कार्यान्वित करने का जिम्मा सौंपा गया था। प्रोजेक्ट में तीन राज्यों–राजस्थान, झारखंड और मेघालय को शामिल कर इसका पहला चरण 2014–15 में पूरा हो चुका है। परियोजना के दूसरे चरण को वर्ष 2015–16 में शुरु किया गया।

उद्देश्य

1. टूल किट का क्रमिक विकास, परीक्षण और सत्यापन करनाय डेटा संग्रह उपकरणों को विकसित करना, उन्हें सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर, परीक्षण और सत्यापन के साथ संगत बनानाय नागरिक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना। प्रोटोटाइप, एवीध्आईईसी सामग्री विकसित करना। स्वयंसेवी नागरिकों प्रशिक्षणों की उत्पादकता को अधिकतम करना।

2. नागरिक निगरानी प्रक्रिया के विस्तारध्मजबूती के लिए ओएमएएसएस के साथ जीपीएस सक्षम डिजिटल सीआरएस को विकसित करना और इन दोनों को संगत बनाना।

3. एक 'आदर्श नागरिक निगरानी प्रक्रिया/पद्धति' का विकास, परीक्षण और सत्यापन करना जिसे पीएमजीएसवाई कार्यान्वयन में दोहराया/संस्थागत रूप दिया जा सकता है।

4. प्रत्येक राज्य में मास्टर प्रशिक्षकों की एक टीम खड़ी करना, जो संबंधित राज्यों में सभी पीएमजीएसवाई सड़कों की नागरिक निगरानी को प्रोत्साहित करेंगे।

इस परियोजना को एनआरआईडीए और संबंधित एसआरआरडीए के सहयोग से तथा राज्य स्तरीय सहभागी संगठनों (एसएलपीओ) की मदद से पीएसी द्वारा सात राज्यों असम, झारखंड, कर्नाटक, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड में लागू किया गया था। 14 जिलों (प्रत्येक राज्य से 2) को चिन्हित किया गया और सात राज्यों में से प्रत्येक में 20 सड़कों (10 निर्माणाधीन और 10 पूर्ण) को इस परियोजना के तहत शामिल किया गया।

इस परियोजना के तहत कुल 420 नागरिक स्वयंसेवियों और 42 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था।

मुख्य परिलब्धियां:

1. नवीनीकृत टूल किट, तारीख का ब्यौरा रखने और विश्लेषण करने वाले उपकरण
2. शैक्षणिक वृत्तचित्र
3. प्रोटोटाइप मॉडल
4. ग्रामीण नागरिकों के लिए आईईसी पोस्टर
5. नागरिक निगरानी हैंडबुक
6. पहले से ज्यादा प्रभावी सुगम नागरिक स्वयंसेवक प्रशिक्षण मॉड्यूल।
7. स्वयंसेवी कार्यशालाएं जिनमें 420 नागरिक स्वयंसेवकों, 21 एसएलपीओ कर्मियों और 14 एसआईआरडी कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।
8. प्रत्येक राज्य में छह मास्टर प्रशिक्षक (कुल 42)
9. पीएमजीएसवाई ग्राम सभाएं (कम से कम 140) जहां गांवों में रहने वाले नागरिक पीएमजीएसवाई सड़कों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं।
10. रिपोर्टें

    क. स्वयंसेवी प्रशिक्षण समापन रिपोर्ट।

    ख. पहले चरण की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट।

ग. आदर्श पीएमजीएसवाई नागरिक निगरानी प्रक्रिया के साथ अंतिम रिपोर्ट (राज्य स्तरीय परामर्श के बाद)।

इस परियोजना की रिपोर्ट प्राप्त की जा चुकी है तथा इसे सभी सात राज्यों के साथ साझा किया जा चुका है और उनसे यह अनुरोध किया गया है कि नागरिक स्वयंसेवकों द्वारा सड़कों की निगरानी प्रणाली को अपनाया जाए।

टीईआरआई द्वारा कोल्ड मिक्स सड़कों का अध्ययन

एनआरआईडीए ने ऊर्जा और विकास संस्थान (टीईआरआई) के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव में ''हॉट मिक्स और कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकियों के जीवन चक्र का आकलन'' अध्ययन आरम्भ किया। इसकी रिपोर्ट अगस्त 2017 के दौरान जारी की गई।

टीईआरआई द्वारा किए गए अध्ययन के तहत, असम और उत्तराखंड दो राज्यों में आंकड़े एकत्र किए गए । कुल आठ ग्रामीण सड़क खंडों का अध्ययन किया गया था, जिनमें से चार परियोजनाएं अध्ययन के समय निर्माणाधीन थीं और चार परियोजनाएं न्यूनतम पांच वर्ष पहले पूरी हो चुकी थीं और रखरखाव के अधीन थीं।

इस अध्ययन में संसाधन उपयोग, ऊर्जा उपयोग, जीएचजी उत्सर्जन, प्रदूषण सृजन, परियोजना कार्यान्वयन अनुभव, सड़क की मरम्मत और रखरखाव अपेक्षाओं और हॉट मिक्स एवं कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकियों के उपयोग से संबद्ध निर्माण और रखरखाव की लागत का व्यापक मूल्यांकन किया गया और इन मानकों के आधार पर दोनों प्रौद्योगिकियों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया।

अध्ययन की संस्तुतियां

- बिटुमेन की कीमतों में अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी लागत को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जाना चाहिए।
- ऑन–साइट ऊर्जा बचत से बचाई गई ऊर्जा को इसके परिवहन में खर्च हुई ऊर्जा में व्यर्थ होने से बचाने के लिए अधिकाधिक कोल्ड मिक्स उत्पादन सुविधाओं को स्थापित किया जाए।

- राज्य एजेंसियों और परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) को परियोजनाओं के लिए कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकी का चयन निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।
- उन क्षेत्रों में जहां अधिकांश वर्ष के लिए उच्च वर्षा या ठंडे मौसम के कारण निर्माण कार्य बाधित रहता है, ऐसे क्षेत्रों में सभी मौसमों में उपयोग के अनुकूल होने के चलते कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकी को अधिमान दिया जा सकता है
- ऐसे ठेकेदारों, श्रमिकों और इंजीनियरों की उपलब्धता जिनके पास कोल्ड मिक्स का उपयोग करने का पूर्व अनुभव या प्रशिक्षण है अथवा वे नई प्रौद्योगिकियों के साथ काम करने के इच्छुक हैं
- कोल्ड मिक्स बिटुमेन/इमल्शन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण सुविधाएं राज्य में सुलभ और विश्वसनीय हैं
- राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों और राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों के पास सुव्यवस्थित तरीके से गुणवत्ता जांच करने की क्षमता है चूंकि मिक्स सहित विभिन्न तकनीकों के उपयोग का सड़क की सतह की गुणवत्ता पर प्रभावों की उन्हें पहले से जानकारी है और वे इसे अच्छे तरह समझते हैं
- कोल्ड मिक्स के प्रयोग के लिए इंजीनियरों और अधिकारियों को प्रोत्साहन उपलब्ध हो। उदाहरण के लिए, उत्तराखंड में सहायक अभियंता स्तर के इंजीनियरों को उपरोक्त नई तकनीकों, कोल्ड मिक्स, अपशिष्ट सामग्री आदि के उपयोग के लिए उनके वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं।
- यदि परियोजना स्थल से व्यवहार्य दूरी पर कोल्ड मिक्स की उपलब्धता हो तो परिवहन पर ऊर्जा खपत कम होगी।

9.2 एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से सहायता

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यक्रम में असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में ग्रामीण सड़क सेक्टर–I तथा ग्रामीण सड़क सेक्टर–II परियोजनाओं के साथ–साथ ग्रामीण सड़क संयोजकता निवेश कार्यक्रम में एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जाती रही है। यह सहायता ग्रामीण सड़क सेक्टर–I परियोजना के लिए 400 मिलियन अमरीकी डालर, ग्रामीण सड़क सेक्टर–II के लिए 750 मिलियन अमरीकी डालर

और ग्रामीण सड़क संयोजकता निवेश कार्यक्रम के लिए 800 मिलियन अमरीकी डालर तथा द्वितीय ग्रामीण सड़क संयोजकता निवेश कार्यक्रम के लिये 500 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के रूप में दी गई है।

ग्रामीण सड़क सेक्टर–I परियोजना (आरआरएस–I परियोजना) पहले ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूरी हो चुकी है और असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ग्रामीण सड़क सेक्टर–II निवेश कार्यक्रम पूरा हो चुका है।

(प) ग्रामीण सड़क सेक्टर–I परियोजना

ऋण संख्या 2018–आईएनडीः एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में पीएमजीएसवाई की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता के लिए ग्रामीण सड़क सेक्टर–I परियोजना (आरआरएस–I पी) के तहत 400 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण को मंजूरी दी थी। 3,207 बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध करवाते हुए कुल 9,574.7 किमी लंबी बारहमासी ग्रामीण सड़कें निर्मित की गईं थीं। परियोजना जून 2009 में सफलतापूर्वक पूरी की गई। ऋण समझौते की आवश्यकतानुसार परियोजना समापन रिपोर्ट एडीबी को प्रस्तुत कर दी गई है।

(पप) ग्रामीण सड़क सेक्टर प्प निवेश कार्यक्रम

परियोजना 1 (ऋण संख्या 2248–आईएनडी): एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने असम, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में उप परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 'मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग सुविधा (एमएफएफ)' के तहत 180 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण को मंजूरी दी थी। इस परियोजना के तहत 1,497 बसावटों को सड़क संयोजन उपलब्ध करवाते हुए कुल 2,507 किमी लंबी सड़कें निर्मित की गईं। परियोजना जून, 2009 में सफलतापूर्वक पूरी की गई। ऋण समझौते की आवश्यकता के अनुसार परियोजना समापन रिपोर्ट एडीबी को प्रस्तुत कर दी गई है।

परियोजना 2 (ऋण संख्या 2414–आईएनडी): एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 'मल्टी–ट्रांच फाइनेंसिंग सुविधा (एमएफएफ)' के तहत ओडिशा में बैच II परियोजना के लिए 77.65 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण को मंजूरी दी थी । इस परियोजना के अंतर्गत ओडिशा में 231 बसावटों को सड़क संयोजकता प्रदान करते हुए 1,013 किमी लंबी सड़कें बनाई गईं। ऋण 31 दिसंबर 2010 को पूरा हो गया था। ऋण समझौते की आवश्यकता के अनुसार परियोजना पूरी होने की रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक को प्रस्तुत कर दी गई है।

परियोजना 3 (ऋण संख्या 2445–आईएनडी): असम और पश्चिम बंगाल में बैच II की उप परियोजना के वित्त पोषण हेतु 'मल्टी– ट्रांच फाइनेंसिंग सुविधा (एमएमएफ)' के तहत 130 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण लिया गया। एडीबी ने यह ऋण 5 जनवरी 2009 से लागू किया था। इस परियोजना के अंतर्गत असम में 985 किमी लंबी सड़कें बनाकर 607 बसावटों को तथा पश्चिम बंगाल में 843 किमी लंबी सड़कें बनाकर 718 बसावटों को सड़क संयोजकता उपलब्ध करवाई गई । यह ऋण 30 जून 2013 को पूरा हो गया।

परियोजना 4 (ऋण संख्या 2535): असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बैच III की उप परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु 'मल्टी– ट्रांच फाइनेंसिंग सुविधा (एमएमएफ)' के तहत 185 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण लिया गया था । एडीबी ने यह ऋण 26 नवंबर 2009 से लागू किया। इस परियोजना के तहत असम में 871 किमी लंबी सड़कें बनाकर 397 बसावटों को, ओडिशा में 1,287 किमी लंबी सड़कें बनाकर 517 बसावटों तथा पश्चिम बंगाल में 660 किमी लंबी सड़कें बनाकर 704 बसावटों को सड़क संयोजकता प्रदान की गई है। यह ऋण 31 दिसम्बर 2012 को पूरा हो गया।

परियोजना 5 (ऋण संख्या 2651): ओडिशा में बैच IV, मध्य प्रदेश में बैच V, पश्चिम बंगाल में बैच III (लॉट II), छत्तीसगढ़ में बैच IV की उप परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु लिए 'मल्टी– ट्रांच फाइनेंसिंग सुविधा' के तहत 222.22 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण लिया गया है। यह ऋण पर 29 अक्तूबर 2010 से लागू किया गया। इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ में 325 किमी लंबी सड़कें बनाकर 142 बसावटों को, मध्य प्रदेश में 2,535 किमी लंबी सड़कें बनाकर 895 बसावटों को, ओडिशा में 1,512 किमी लंबी सड़कें बनाकर 428 बसावटों को तथा पश्चिम बंगाल में 443 लंबी सड़कें बनाकर 257 बसावटों को सड़क संयोजकता प्रदान की जानी थी । यह ऋण 30 जून 2014 को पूरा हो गया।

(iii) ग्रामीण सड़क संयोजकता निवेश कार्यक्रम (आरसीआईपी)

क) 800 मिलियन अमरीकी डालर की मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग सुविधा (एमएफएफ) के संबंध में एशियाई विकास बैंक, आर्थिक कार्य विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा राज्यों द्वारा 17 मई 2012 को हस्ताक्षर किए गए। निवेश कार्यक्रम के लिए एडीबी से वित्तीय सहायता मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग सुविधा (एमएफएफ) के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 9000 किमी बारहमासी सड़कों का निर्माण अथवा उन्नयन करके असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में 4,200 बसावटों को सड़क संयोजकता उपलब्ध करवाई जाएगी। कार्यक्रम के तहत संस्थागत व्यवस्थाओं, व्यापारिक प्रक्रियाओं तथा संबद्ध क्षमता निर्माण, विशेष रूप से डिजाइन, संचालन, सुरक्षा–उपाय, वित्तीय, सड़क सुरक्षा और परिसंपत्ति प्रबंधन मामलों के सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

निवेश कार्यक्रम की वित्त पोषण योजना नीचे दी गई है: –

क्रम. सं.	स्रोत	राशि
1	एशियाई विकास बैंक	800 मिलियन अमरीकी डालर
2	भारत और राज्य	404.44 मिलियन अमरीकी डालर
	कुल	1204.44 मिलियन अमरीकी डालर

मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग सुविधा (एमएफएफ) के तहत चार परियोजनाओं को तीन परियोजनाओं में परिवर्तित कर दिया गया है और इस परिवर्तन के लिए तकनीकी सहायता परामर्शदाता की सेवाओं सहित परामर्शदाता सेवाओं के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पैकेजों में कांट–छांट करते हुए इस कार्यक्रम में ग्रामीण संयोजकता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्रों (आरसीटीआरसी) के परामर्शदाताओं की सेवाओं का भी उपयोग किया जाएगा।

पहली और परवर्ती ट्रांच की तयशुदा राशि और समय–सारणी नीचे दी गई है: –

वित्त पोषण	ट्रांच 1 (मिलियन अमरीकी डालर)	ट्रांच 2 (मिलियन अमरीकी डालर)	ट्रांच 3 (मिलियन अमरीकी डालर)
एडीबी	252	275	273
सरकार	89	81.56	233.88
कुल	341	356.56	506.88

ग्रामीण सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन हेतु संस्थागत विकास के लिए तकनीकी सहायता (टीए–8110: आईएनडी)

एशियाई विकास बैंक ने ग्रामीण सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन के संस्थागत सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार को तकनीकी सहायता के प्रावधान की मंजूरी दी थी जिसकी राशि 2.3 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर से अधिक नहीं होनी थी। तकनीकी सहायता का वित्त पोषण एवं कार्यान्यन निम्नलिखित के संदर्भ में किया जाएगा:– सरकार तथा एशियाई विकास बैंक के बीच तकनीकी सहायता रूपरेखा करार जिस पर 10 जुलाई 1996 को हस्ताक्षर किए गए। रूपरेखा करार तथा तकनीकी सहायता दिसंबर 2012 से शुरू करके 30 महीने की अवधि तक कार्यान्वित किए गए। तकनीकी सहायता पूरी तरह से अनुदान के रूप में प्रदान की गई।

ग्रामीण संयोजकता निवेश कार्यक्रम में संस्थागत विकास घटक भी शामिल है: –

– स्थानिक कार्यालयों (इनमें प्रायोगिक ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाइयों (आरआरएनएमयू) के प्रकार्यों का संचालन करने के लिए अपेक्षित प्रयोगशालाएं तथा अन्य सुविधाएं शामिल है) का निर्माण करना तथा ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपस्कर, प्रणालियां एवं उपकरण प्रदान करना। दूसरे वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में एक आरआरएनएमयू सुविधा निर्मित की जाएगी तथा निवेश कार्यक्रम के चौथे

वर्ष तक प्रत्येक राज्य में ऐसी पांच–पांच अर्थात कुल मिलाकर लगभग 25 सुविधाएं निर्मित कर ली जाएंगी।

– प्रत्येक राज्य में 5 ग्रामीण संयोजकता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्रों (आरसीटीआरसी) का निर्माण और इन्हें सुसज्जित करना।

– स्थापित किए गए ग्रामीण सड़क संयोजकता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्रों द्वारा संबद्ध परामर्शी सेवाओं की सहायता से व्यवस्थित और बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण और लक्षित ग्रामीण सड़क अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ करना।

(iv) ऋण संख्या 2881–आईएनडी (ट्रांच 1)

ग्रामीण संयोजकता निवेश कार्यक्रम के तहत ट्रांच–I के लिए 252.00 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण पर 2 अप्रैल 2013 को हस्ताक्षर किए गए हैं और यह 5 जून 2013 से प्रभावी हो गया है। इस ऋण के तहत कम से कम 500 व्यक्तियों (पहाड़ी या रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक) की जनसंख्या वाली सभी बसावटों को संयोजकता प्रदान कराई जाएगी। उप परियोजनाओं के तहत कुल मिलाकर लगभग 3461 किमी (असम में 342 किमी ,छत्तीसगढ़ में 1008 किमी, मध्य प्रदेश में 1187 किमी, ओडिशा में 757 किमी और पश्चिम बंगाल में 167 किमी) सड़कें बनाई जाएंगी। 355 किमी के लिए ट्रांशे–III के 55 पैकेज, ट्रांशे–I में अंतरित कर दिए गए हैं और एडीबी ने 2.5 वर्ष का समय–विस्तार स्वीकृत कर दिया है। यह परियोजना 30 जून 2018 को पूरी हो चुकी है।

मार्च 2018 तक 239 .00 मिलियन अमरीकी डालर में से 218.6 9 मिलियन अमरीकी डालर का वितरण किया जा चुका है (13 मिलियन अमरीकी डालर का अभ्यर्पण किया गया)।

(अ) ऋण संख्या 3065–आईएनडी (ट्रांच –2)

275.00 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण जिसमें ग्रामीण संयोजकता और संस्थागत विकास के घटक शामिल हैं, पर 8 नवंबर 2013 को हस्ताक्षर किए गए और यह 31 मार्च 2014 से प्रभावी है। इस घटक के तहत वे ग्रामीण सड़कें आती हैं जो पीएमजीएसवाई में 500 व्यक्तियों (पहाड़ी या रेगिस्तानी क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक) से अधिक जनसंख्या वाली सभी बसावटों को बारहमासी संयोजकता प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित की जाएंगी। इस ऋण के तहत कुल 3692.80 किमी (असम में 495.56 किमी, छत्तीसगढ़ में 429.06 किमी, मध्य प्रदेश में 654.04 किमी, ओडिशा में 1184.06 किमी और पश्चिम बंगाल में 930.08 किमी) लंबाई की उप परियोजनाएं वित्त पोषित की जानी हैं।

मार्च 2018 तक कुल 250.00 मिलियन अमरीकी डालर में से 202.56 मिलियन अमरीकी डालर अर्थात ऋण राशि के 81.02% तक का वितरण किया जा चुका है (25 मिलियन अमरीकी डालर के अभ्यर्पण के बाद)।

उपकरण और फुटकर खर्च के घटकों में बचत के कारण हमने 15.18 मिलियन अमरीकी डालर की लागत वाली 173.80 किमी की लंबाई की 39 सड़कों को ट्रांशे 3 से हटाकर ट्रांशे 2 (ऋण संख्या 3065–आईएनडी) में जोड़े जाने का प्रस्ताव दिया है क्योंकि इन सड़कों को ट्रांशे 3 में समायोजित नहीं किया जा सका। प्रस्ताव एडीबी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। 39 सड़कों को ट्रांशे 2 में जोड़ दिया गया है।

(अप) ऋण संख्या 3306–आईएनडी (ट्रांच 3)

273.00 मिलियन अमरीकी डालर की राशि जिसमें ग्रामीण संयोजकता और संस्थागत विकास के घटक शामिल हैं, पर 6 नवंबर 2015 को हस्ताक्षर किए गए और यह ऋण 29 दिसंबर 2015 से प्रभावी हैं। ट्रांच–3 में उन ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाना शामिल है जो कि पीएमजीएसवाई में 500 व्यक्तियों (पहाड़ी या रेगिस्तानी क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक) से अधिक जनसंख्या वाली सभी बसावटों को बारहमासी संयोजकता प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित की जाएंगी। उप परियोजनाओं में कुल मिलाकर 6127.66 किमी (असम में 486.984 किमी, छत्तीसगढ़ में 1055.94 किमी, मध्य प्रदेश में 1381.36 किमी, ओडिशा में 2565.81 किमी और पश्चिम बंगाल में 637.574 किमी) लंबी सड़कें शामिल हैं। ऋण का ढाई वर्ष के लिए समय–विस्तार किया गया है और यह ऋण 31.12.2019 को पूरा हो जाएगा।

मार्च 2018 तक 273.00 मिलियन अमरीकी डालर से 182.44 मिलियन अमरीकी डालर अर्थात ऋण राशि का 66.82% का वितरण किया गया है।

ख) ग्रामीण संयोजकता निवेश कार्यक्रम (अनुपूरक):

500 मिलियन अमरीकी डालर के दूसरे ग्रामीण संयोजकता निवेश कार्यक्रम का उद्देश्य असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में असंयोजित पात्र बसावटों को बारहमासी संयोजकता प्रदान के लिए 13,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण या उन्नयन करना और पहले से निर्मित सड़कों को बारहमासी उपयोग के लिए अपग्रेड करना है।

इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पीएमजीएसवाई के हिस्से की सहायता हेतु दूसरे ग्रामीण संयोजकता निवेश कार्यक्रम के तहत एशियाई विकास बैंक से मल्टीट्रांच फाइनेंसिंग सुविधा के माध्यम से 500 मिलियन अमरीकी डालर का अतिरिक्त वित्त पोषण हासिल किया है। ग्रामीण विकास मंत्रलाय ने पहले बड़ी आबादी वाली बसावटों को प्राथमिकता देने और बाद में धीरे–धीरे कम आबादी वाली बसावटों को शामिल करने के लिए विस्तार के रणनीतिक मानदंड स्थापित किए हैं।

वित्त पोषण योजना नीचे दी गई है।

वित्त पोषण	ट्रांच 1 (मिलियन अमरीकी डालर)	ट्रांच 2 (मिलियन अमरीकी डालर)	ट्रांच 3 (मिलियन अमरीकी डालर)	कुल	हिस्सा
एडीबी (सामान्य पूंजी संसाधन) (41.70%)	250.00	110.00	140.00	500.00	40.81
भारत सरकार (58.30%)	415.32	193.00	116.94	725.26	59.19
कुल	665.32	303.00	256.94	225.26	100

दूसरे ग्रामीण संयोजकता निवेश कार्यक्रम के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच वित्त पोषण ढ़ांचा समझौते (एफएफए) पर 27 सितंबर 2017 पर हस्ताक्षर किए गए। इस निवेश कार्यक्रम की कुल लागत 1225.26 मिलियन अमरीकी डालर है और इसे 2017 से 2024 की अवधि में लागू किया जाएगा। इस निवेश कार्यक्रम के तहत मल्टी ट्रांच सुविधा के माध्यम से कार्यक्रम के घटकों और उप परियोजनाओं को वित्त पोषित करने का इरादा है जिसमें असम में 2000 किमी, ओडिशा में 2000 किमी, पश्चिम बंगाल में 1000 किमी, छत्तीसगढ़ में 2000 किमी और मध्य प्रदेश में 4000 किमी निर्माण या उन्नयन समाहित हो सकते हैं।

ट्रांच I 665.32 मिलियन अमरीकी डालर का होगा, जिसमें से एडीबी 250 मिलियन अमरीकी डालर का वित्त पोषण करेगा और लोक निर्माण कामों का वित्त पोषण भारत सरकार करेगी। परामर्श सेवाओं, परियोजना प्रबंधन और फुटकर खर्चों का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। ट्रांच I असम में 976.99 किमी, ओडिशा में 1571.28 किमी, पश्चिम बंगाल में 597.38 किमी, छत्तीसगढ़ में 1001.08 किमी और मध्य प्रदेश में 2156.16 किमी तक ग्रामीण संयोजकता प्रदान करेगा।

ट्रांच II 303.00 मिलियन अमरीकी डालर का होगा, इसमें एडीबी का वित्तपोषण 110.00 मिलियन अमरीकी डालर होगा और भारत सरकार का वित्तपोषण 193.00 मिलियन अमरीकी डालर रहेगा। ट्रांच II के तहत लोक निर्माण कार्यों में एडीबी द्वारा सहयोग किया जाएगा और सलाहकार परियोजना प्रबंधन का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। ट्रांच II से मध्य प्रदेश राज्य में 2859.09 किलोमीटर की संयोजकता प्राप्त होगी।

तकनीकी सहायताः

एशियाई विकास बैंक ने एडीबी के तकनीकी सहायता विशेष निधि से अनुदान आधार पर 5 लाख अमरीकी डालर की तकनीकी सहायता प्रदान की है। सरकार अनुसंधान संगठनों और अकादमिक संस्थानों के लिए स्टाल ऑफिस आवास एवं कार्यालय आपूर्ति शुल्क के रूप में समकक्ष सहायता प्रदान करेगी। तकनीकी सहायता आरआरएनएमयू और आरसीटीआरसी को निवेश कार्यक्रम के निम्नलिखित इच्छित परिणामों में योगदान देने के लिए सहयोगी होगी

क) सततता में वृद्धि

ख) लचीलेपन में वृद्धि

ग) नवाचार को बढ़ावा देना

9.3 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल राज्य अधिकारियों का प्रशिक्षण एनआरआईडीए के लिए एक प्राथमिकता क्षेत्र है। राज्यों को प्रदान जाने वाले प्रशिक्षण सहयोग में विभिन्न क्षेत्र जैसे योजना कार्यान्वयन, दिशानिर्देश, आयोजना, प्रापण, डिजाइन और फुटपाथ और पुलों का निर्माण और डिजाइन, वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां और सड़क सुरक्षा शामिल रहते हैं। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के संस्थानों जैसे सीआरआरआई नई दिल्ली, आईएएचई नोएडा, एनआईआरडी एवं पीआर हैदराबाद इत्यादि के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। एनआरआईडीए ने आईएएचई नई दिल्ली और एनआईआरडी एवं पीआर हैदराबाद के साथ एक एमओयू में भी हस्ताक्षरित किया है ताकि पीएमजीएसवाई योजना के कार्यान्वयन से जुड़े विभिन्न मूल विषयों पर व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जा सके। एनआरआईडीए राज्य स्तरीय संस्थानों में अनुमोदित विषयों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्यों को व्यापक सहायता प्रदान करता है ताकि इन्हें व्यापक प्रचार मिले।

वर्ष 2017–18 के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया था और इस अवधि के दौरान 4,962 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

क्र.सं.	कार्यक्रम	2017–18 में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या
1	आईएएचई	1032
2	एनआईआरडी एवं पीआर	1480
3	डब्ल्यूबी टीए घटक (राज्य स्तरीय संस्थान)	2197
4	अन्य विविध प्रशिक्षण और	253
	कार्यशालाएं	
	कुल	4962

9.4 पीएमजीएसवाई के तहत वेब आधारित जीआईएस का सृजन

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एनआरआईडीए के माध्यम से 27.10.2015 को पीएमजीएसवाई के तहत वेब आधारित जीआईएस के कार्यान्वयन के लिए 27.9 करोड़ रुपए की कुल लागत पर सी–डैक, पुणे से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 25 राज्यों को 9.68 करोड़ रुपए मंजूर कर डिजिटलीकरण कार्य के लिए राज्यों का मार्गदर्शन किया और वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

सी–डैक, पुणे को सी–डैक द्वारा सृजित निर्धारित वेबसाइट के माध्यम परियोजना चलाने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने, गुणवत्ता जांच करने और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर बनाने और हार्डवेयर लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे परियोजना के लिए सलाहकारों को काम पर लगाएं, डिजिटलीकरण की सभी लेयर्स को पूरा करें और इसे गुणवत्ता जांच और होस्टिंग के लिए सी–डैक को प्रस्तुत करें।

वेब जीआईएस में ग्रामीण सड़कों, कोर नेटवर्क सड़कों, बसावटों, बाजार केंद्रों, प्रशासनिक मुख्यालयों, जिला/ब्लॉक सीमाओं आदि के विवरण सहित 21 लेयर्स होंगी।

पीएमजीएसवाई राष्ट्रीय जीआईएस में मानचित्र पर सुविधाओं की स्थितिगत सटीकता में सुधार और ओएमएमएएस (www.omms.nic.in) पर उपलब्ध ग्रामीण सड़क अवसंरचना की राष्ट्रीय स्तर की जानकारी का उपयोग करने पर जोर देने के साथ जीआईएस आंकड़ें सृजित करने के प्रयास किए गए हैं। ओएमएमएएस में अपडेट किया गया डेटा तुरंत ही वेब जीआईएस पर दिखाई देगा।

छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड के 10 राज्यों के जीआईएस का माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खदान मंत्री द्वारा 15.12.2017 को सॉफ्ट लॉन्च किया गया।

मार्च 2018 तक 21 राज्यों के जीआईएस को डेडिकेटेड वेब जीआईएस पेज पर पीएमएसजीवाई www.pmgsy.grris.nic.in के तहत होस्ट किया जा चुका था। शेष राज्यों का जीआईएस भी 2018 के दौरान ही लॉन्च कर लिया जाएगा।

ग्रामीण सड़कों में भौगोलिक (हमव) सूचना विज्ञान के उपयोग पर परियोजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजना में भौगोलिक सूचना विज्ञान के उपयोग के लिए मार्च 2017 के दौरान ग्रामीण विकास में भू–सूचना अनुप्रयोग केंद्र (सीजीएआरडी, एनआईआरडी एवं पीआर) और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 2 वर्ष की अवधि वाली इस परियोजना की कुल लागत 29.09 करोड़ रुपए है। यह परियोजना एनआरएससी और सीजीएआरडी द्वारा अवधारणा अभ्यास के प्रमाण के आधार पर शुरू की गई है। परियोजना का उद्देश्य उपग्रह तस्वीरों और मौके पर सत्यापन के माध्यम से पीएमजीएसवाई के तहत पूरे किए गए कामों को सत्यापित करना है।

10. राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों और राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

10.1 नए सूचीबद्ध राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों (एनक्यूएम) के लिए अभिमुखीकरण–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रमः

गुणवत्ता निगरानी के तीसरे स्तर के तहत तैनात राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों (एनक्यूएम) से राज्यों की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में ढ़ांचागत मुद्दों को चिन्हित करने और प्रणाली में सुधार लाने के लिए कमियों पर प्रतिक्रिया देने की अपेक्षा की जाती है। इन राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों को गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण परिणामों और तस्वीरों से अपनी बात को सही ठहराते हुए निर्धारित प्रारूपों में अपनी संरचित प्रतिक्रिया देनी होती है। एनक्यूएम को प्रत्येक परियोजना के निरीक्षण पर कार्यक्रम की प्रबंधन सूचना प्रणाली– ओएमएमएएस में गुणवत्ता ग्रेडिंग सारांश और भू–संदर्भित तस्वीरों को भी अपलोड करना होता है। निरीक्षित परियोजनाओं के बारे में ओएमएमएएस पर अपलोड किया गया गुणवत्ता ग्रेडिंग सार और संबंधित तस्वीरें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होते हैं।

पीएमजीएसवाई के तहत प्रणाली और संबंधित प्रक्रियाओं पर प्रारंभिक मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से नए सूचीबद्ध एनक्यूएम के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन अभिमुखीकरण कार्यक्रमों के दौरान, एनक्यूएम को कार्यक्रम दिशानिर्देशों और स्वतंत्र मॉनीटरों द्वारा निरीक्षण और फोटोग्राफ के सारांश को अपलोड करने के लिए मोबाइल आधारित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के लिए दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी दी जाती है। 2017–18 की अवधि के दौरान, दो अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। सबसे पहला अभिमुखीकरण कार्यक्रम 6–8 जुलाई 2017 के दौरान आईएएचई, नोएडा में आयोजित किया गया और नव–सूचीबद्ध एनक्यूएम के लिए एनआरआईडीए में 12 जनवरी, 2018 को एक अन्य लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जुलाई 2017 में एनक्यूएम प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित विषय शामिल होते हैं:

1. पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों हेतु विनिर्देशों पर कार्यक्रम दिशानिर्देश और ब्रीफिंग।

2. पीएमजीएसवाई एवं गुणवत्ता नियंत्रण स्थानिक परीक्षणों के तहत ग्रामीण सड़क हेतु विनिर्देश।

3. तीन स्तरीय क्वालिटी निगरानी के तहत निर्धारित प्रणाली और प्रक्रिया तथा एनक्यूएम द्वारा रिपोर्टिंग में रहने वाली कमियों पर पावर–पॉइंट प्रस्तुति।

4. ओएमएमएएस में निरीक्षण सारांश और तस्वीरों को अपलोड करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग।

5. पुल निरीक्षण से संबंधित मुद्दे।

10.2 सूचीबद्ध राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों (एसक्यूएम) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम:

राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों (एसक्यूएम) निगरानी प्रणाली के दूसरे स्तर के तहत तैनात किए जाते हैं। अप्रैल 2017 से सितंबर 2017 के दौरान अधिकांश राज्यों के लिए एसक्यूएम प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में कक्षा व्याख्यान और हाथों–हाथ व्यावहारिक प्रशिक्षण दोनों शामिल थे। इससे गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने और टीयर II और III दोनों की निरीक्षण दक्षता में सुधार करने में मदद मिली।

इन कार्यक्रमों के दौरान कुल 617 राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षित एसक्यूएम के राज्य–वार ब्यौरे इस प्रकार हैं:

राज्यों में एसक्यूएम का प्रशिक्षण				
क्रम सं.	राज्य	सूचीबद्ध एसक्यूएम की सं.	प्रशिक्षण अवधि	
			से	तक
1	आंध्र प्रदेश	15	28/6/2017	29/6/2017
2	अरुणाचल प्रदेश	15	25/5/2017	26/5/2017
3	असम	39	25/5/2017	26/5/2017
4	बिहार	89	20/4/2017	21/4/2017
5	छत्तीसगढ़	24	31/8/2017	01/09/2017
6	गुजरात	7	26/4/2017	27/4/2017
7	हरियाणा	13	-	-
8	हिमाचल प्रदेश	26	06/05/2017	07/05/2017
9	जम्मू और कश्मीर	17	-	-
10	झारखंड	41	12/04/2017	13/4/2017
11	कर्नाटक	11	-	-
12	केरल	10	23/6/2017	24/6/2017
13	मध्य प्रदेश	61	25/8/2017	26/8/2017
14	महाराष्ट्र	45	-	-
15	मणिपुर	14	25/5/2017	26/5/2017
16	मेघालय	8	25/5/2017	26/5/2017
17	मिजोरम	10	25/5/2017	26/5/2017
18	नगालैंड	3	25/5/2017	26/5/2017
19	ओडिशा	43	12&06&2017	13/6/2017
20	पंजाब	6	-	-
21	राजस्थान	51	06/04/2017	07/04/2017
22	सिक्किम	6	25/5/2017	26/5/2017
23	तमिलनाडु	16	23/6/2017	24/6/2017
24	त्रिपुरा	34	25/5/2017	26/5/2017
25	उत्तर प्रदेश	36	18/4/2017	19/4/2017
26	उत्तराखंड	19	04/05/2017	05/05/2017
27	पश्चिम बंगाल	34	09/06/2017	10/06/2017
28	तेलंगाना	16	28/6/2017	29/6/2017

11. बजट

वर्ष 2017–18 के लिए अनुमोदित संशोधित बजट प्राक्कलन और इसके तहत किया गया व्यय अनुलग्नक X पर दिया गया है। इस वर्ष ओपनिंग बैलेंस 32.13 करोड़ रुपए था, ब्याज और छिट–पुट प्राप्तियां 3.72 करोड़ रु. थीं और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष के दौरान कुल 7366.13 करोड़ रु. का अनुदान जारी किया। वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय रु. 7361.56 करोड़ रहा।

12. लेखा और लेखा परीक्षा

इस उद्देश्य के लिए नियुक्त चार्टड एकाउंटेंट्स मैसर्स जी.के. सुरेका एवं कंपनी द्वारा एजेंसी के खातों की लेखा–परीक्षा की गई है।

वर्ष 2017–18 के लिए बैलेंस शीट, प्राप्तियां और भुगतान खाता, आय–व्यय खाता के रूप में लेखा–परीक्षित लेखे और खातों पर दी गईं टिप्पणियां अनुलग्नक XI–। से XI–E के रूप में संलग्न हैं।

इस वर्ष भारत सरकार से प्राप्त निधि में से 7361.56 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह व्यय मुख्य रूप से राज्यों को वितरित ग्रामीण आवास ऋण (7329.43 करोड़ रुपए)य एनआईआरडीए का व्यय (19.46 करोड़ रुपए)य विश्व बैंक परियोजना अर्थात आरआरपी II के तहत तकनीकी सहायता के प्रबंधन हेतु (11.67 करोड़ रुपए) और एडीबी परियोजना (1 करोड़ रु.) की मदों पर किया गया।

13. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

एनआईआरडीए कार्यालय राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3), राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों में निहित राजभाषा नीति लागू कर रहा है। इस उद्देश्य से कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठन किया गया है। सभी निदेशक इस समिति के सदस्य हैं और निदेशक (वित्त और प्रशासन) इसके अध्यक्ष हैं। यह समिति नियमित अंतराल पर राजभाषा हिंदी के उपयोग की मॉनीटरिंग करती है और समीक्षा बैठकों में दिए गए सुझावों को कार्यालय में लागू किया जाता है। कार्यालय में 14 सितंबर से 28 सितंबर 2018 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिन्दी के प्रयोग से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं और गतिविधियों का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यालय द्वारा हिन्दी गृह–पत्रिका "राजभाषा स्मारिका" प्रकाशित की गई। इस कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लेखों, लघुकथाओं और कविताओं को "राजभाषा स्मारिका" में संकलित किया गया है। हिन्दी पखवाड़े के दौरान "राजभाषा स्मारिका" के पांचवें अंक का लोकार्पण किया गया। इसके साथ वार्षिक रिपोर्टों और अन्य

कागजात जैसे दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। एनआईआरडीए कार्यालय राजभाषा नियम 1976 की अपेक्षाओं के अनुरूप हिन्दी में पत्राचार के लिए कृत संकल्प

अनुलग्नक

अनुलग्नक–I

संगठन की रूप–रेखा

अनुलग्नक–II

पीएमजीएसवाई के तहत 2017–18 के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	राशि (करोड़ रु. में)	सड़क निर्माण कार्यों की सं.	पुलों की संख्या	लंबाई (किमी में)	पुलों की लंबाई (मीटर में)
1	आंध्र प्रदेश	468.27	70	1	592.91	103.78
2	बिहार	970.91	52	1	864.92	148.80
3	छत्तीसगढ़	658.01	41	22	735.38	3541.42
4	झारखंड	1030.77	31	96	630.03	8406.94
5	मध्य प्रदेश	66.77	2	10	51.40	1150.00
6	महाराष्ट्र	229.71	10	33	165.81	2009.00
7	ओडिशा	350.52	29		388.79	
8	तेलंगाना	546.96	20	18	451.37	1314.60
9	उत्तर प्रदेश	144.95	13		254.08	
	कुल	4466.87	268	181	4134.69	16674.54

अनुलग्नक–III

प्रमुख तकनीकी एजेंसियों (पीटीए) और उन्हें आवंटित राज्यों की सूची

क्र. सं.	प्रमुख तकनीकी एजेंसी का नाम	शामिल राज्य
1.	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), नई दिल्ली	सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (सभी प्रमुख तकनीकी एजेंसियों के अलावा और उनसे हटकर)
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार
3.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल	आंध्र प्रदेश
4.	बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी	राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश
5.	इंजीनियरिंग कॉलेज, बेंगलुरू विश्वविद्यालय, बेंगलुरू	कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा
6.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर के राज्य और पश्चिम बंगाल
7.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर	छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा

अनुलग्नक–IV

राज्य तकनीकी एजेंसियों की सूची (एसटीए)

क्र.सं.	राज्य	राज्य तकनीकी एजेंसियां	
1	आंध्र प्रदेश	(i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) जेएनटी विश्वविद्यालय, कुटकपल्ली (iii) विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय (iv)आंध्र विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय (v) विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जेएनटीयू	वारंगल-506004 हैदराबाद-500072 हैदराबाद-500007 विशाखापट्टनम-530 003 काकीनाड़ा- 533003
2	अरुणाचल प्रदेश	(i) जोरहाट इंजीनियरिंग महाविद्यालय	जोरहाट-785007
3	असम	(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) असम इंजीनियरिंग महाविद्यालय , जलूकबाड़ी (iii) जोरहाट इंजीनियरिंग महाविद्यालय (iv) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	गुवाहाटी- 781039 गुवाहाटी-781013 जोरहाट-785007 सिलचर-788010
4	बिहार	(i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान (iii) भागलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय	पटना -800005 मुजफ्फरपुर-842003 भागलपुर- 813210
5	छत्तीसगढ़	(i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जीई रोड (ii) भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान	रायपुर-492010 दुर्ग

क्र.सं.	राज्य	राज्य तकनीकी एजेंसियां	
6	गोवा	गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज	फर्मागुड़ी, फोंडा-403401
7	गुजरात	एस.वी. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	इच्छानाथ, सूरत-395007
8	हरियाणा	(i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) पंजाब इंजीनयरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ (iii) दीनबंधु छोटू राम विज्ञान और	कुरुक्षेत्र-136119 सेक्चर-12, चंडीगढ़-160012
		प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मूरथल	सोनीपत-131039
9	हिमाचल प्रदेश	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	हमीरपुर-177005
10	जम्मू एवं कश्मीर	(i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर-190006 (ii) सरकारी इंजीनयरिंग एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज, जम्मू	श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर जम्मू-181122
11	झारखंड	(i) बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	मेसरा-835215 (रांची) भुवनेश्वर
12	कर्नाटक	(i) बेंगलूरु विश्वविद्यालय (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरथक्कल (iii) पी.डी.ए. इंजीनियरिंग कॉलेज (iv) आई आर रास्ता, रोड संस्थान (v) पी.ई.एस. इंजीनियरिंग कॉलेज (vi) सरकारी एसकेएसजे प्रौद्योगिकीय संस्थान	जनभारती, बेंगलुरु -560056 डाकघर श्रीनिवासनगर, मेंगलूर -575025 गुलबर्गा-585102 बेंगलुरु-560058, कर्नाटक मांडया-571401 के.आर. सर्कल, बेंगलुरु- 560001
13	केरल	(i) इंजीनयरिंग कॉलेज (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	त्रिवेंद्रम-695016 कालीकट- 673601
14	मध्य प्रेदश	(i) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज (iii) श्री जी एस प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान (iv) माधव प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान (v) सम्राट अशोक तकनीकी संस्थान (vi) उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज	भोपाल-462051 जबलपुर-482011 इंदौर- 452003 ग्वालियर- 474005 विदिशा-464001 उज्जैन

क्र.सं.	राज्य	राज्य तकनीकी एजेंसियां	
15	महाराष्ट्र	(i) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, औरंगाबाद (iii) सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, शिवाजीनगर (iv) सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज (v) सरदार पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज	दक्षिण अंबाजारिवाड़, नागपुर-440011 औरंगाबाद-431005 पुणे-05 अमरावती-444604 मुंबई-400058
16	मणिपुर	(i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) मणिपुर प्रौद्योगिकी संस्थान	सिलचर-788010 ताक्येलपट, इंफाल
17	मेघालय	(i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज	गुवाहाटी जोरहाट- 785007
18	मिज़ोरम	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	खड़गपुर-721303
19	नागालैंड	जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज	जोरहाट-785007
20	ओडिसा	(i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज (iii) वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (iv) इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान, सारंग (v) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	राऊरकेला-769008 भुवनेश्वर- 751003 बुर्ला-768018 सारंग-759146 जिला-ढेंकानाला (ओडिसा) भुवनेश्वर
21	पंजाब	(i) पीईसी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ii) पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, ज्ञानी जैल सिंह परिसर (iii) थापर इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान (iv) गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज	चंडीगढ़-160012 डबवाली रोड, भठिंडा -151001 पटियाला-147004 लुधियाना - 141006
22	राजस्थान	(i) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (iii) एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय	जयपुर-302017 कोटा-324010

क्र.सं.	राज्य	राज्य तकनीकी एजेंसियां	
			जोधपुर-342011
23	सिक्किम	(i) सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज (ii) सिक्किम मणिपाल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, माझीतर	जलपाईगुड़ी-735102 सिक्किम
24	तमिलनाडू	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	तिरुचिरापल्ली-620015
25	त्रिपुरा	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	अगरतला-799055
26	उत्तर प्रदेश	(i) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (iii) कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान (iv) हार्कोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय (v) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (vi) प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (vii) एम.एम.एम. प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	इलाहाबाद-211004 रुड़की-247667 सुल्तानपुर-228118 कानपुर-208002 सीतापुर रोड, लखनऊ -226021 वाराणसी-221005 गोरखपुर-273010
27	उत्तरांचल	(i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	रुड़की-247667 पंतनगर-263145
28	पश्चिम बंगाल	(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ii) सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज (iii) भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर (iv) जाधवपुर विश्वविद्यालय (v) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	खड़गपुर-721302 जलपाइगुड़ी-735102 हावड़ा-711103 कोलकाता- 700032 दुर्गापुर 713209

अनुलग्नक–V

पीएमजीएसवाई के तहत वर्ष 2017–18 में स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	राशि (करोड़ रु. में)	सड़क निर्माण कार्यों की सं.	पुलों की सं.	लंबाई (किमी में)	पुलों की लंबाई (मीटर में)
1	आंध्र प्रदेश	355.68	109	96	243.60	4791.95
2	अंडमान	11.69	28		42.89	
3	अरुणाचल प्रदेश	706.47	43	15	684.46	577.00
4	असम	5356.24	2399	727	7058.60	27274.63
5	बिहार	1720.68	594	297	1483.80	18675.87
6	छत्तीसगढ़ (पीएमजीएसवाई-II)	1422.50	179		2238.77	
7	गोवा	0.00	0	0	0.00	0.00
8	गुजरात	11.21	5		14.39	
9	हरियाणा					
10	हिमाचल प्रदेश	1167.79	330	15	2022.93	517.36
11	जम्मू एवं कश्मीर	955.63	141	58	1208.83	2485.50
12	झारखंड	1075.84	1124	68	2610.54	3944.13
13	कर्नाटक	0.00	0	0	0.00	0.00
14	केरल (पीएमजीएसवाई-II)	196.85	66		263.37	
15	मध्य प्रदेश	4205.12	930	226	6389.97	9035.21
16	महाराष्ट्र	482.27	133	61	524.94	2187.00
17	मणिपुर	1793.13	263	59	2924.79	2897.84
18	मेघालय	200.13	61	5	267.60	166.60
19	मिजोरम	337.31	26		282.62	
20	नागालैंड	169.66	19		263.74	
21	ओडिशा	2520.01	1581	52	5372.19	4138.67
22	पंजाब	0.00	0	0	0.00	0.00
23	राजस्थान	1621.91	401	32	3464.26	5640.20
24	सिक्किम	621.94	100	32	605.30	1025.00
25	तमिलनाडू (पीएमजीएसवाई-II)	1244.35	769	25	2658.58	1026.71
26	तेलंगाना	353.29	238	14	679.42	1118.82
27	त्रिपुरा	63.51	20	2	76.89	57.00
28	उत्तर प्रदेश (पीएमजीएसवाई-II)	123.88	22		182.21	
29	उत्तराखंड	1076.49	219		1776.24	
30	पश्चिम बंगाल	3063.44	1457		5764.55	
	कुल	30857.02	11257	1784	49105.48	85559.49

अनुलग्नक–VI

पीएमजीएसवाई के तहत जोड़ी गई बसावटें और पूरी की गई लंबाई

क्र.सं.	राज्य	मार्च 18 तक पूरी की गई लंबाई	मार्च 18 तक जोड़ी गई बसावटें
1	आंध्र प्रदेश	13,882	1,166
2	अरुणाचल प्रदेश	6,624	381
3	असम	17,725	9,516
4	बिहार	47,835	25,950
5	छत्तीसगढ	28,759	9,232
6	गोवा	155	2
7	गुजरात	12,553	3,025
8	हरियाणा	5,576	1
9	हिमाचल प्रदेश	13,668	2,172
10	जम्मू एवं कश्मीर	8,625	1,537
11	झारखंड	19,424	8,944
12	कर्नाटक	18,563	296
13	केरल	3,196	386
14	मध्य प्रदेश	70,814	16,520
15	महाराष्ट्र	26,053	1,283
16	मणिपुर	6,249	470
17	मेघालय	1,695	273
18	मिजोरम	2,859	157
19	नागालैंड	3,488	94
20	ओडिसा	46,973	14,567
21	पंजाब	7,966	390
22	राजस्थान	64,609	14,508
23	सिक्किम	3,607	288
24	तमिलनाडु	15,314	1,982
25	त्रिपुरा	4,170	1,861
26	उत्तर प्रदेश	54,320	8,462
27	उत्तराखंड	9,368	1,161
28	पश्चिम बंगाल	26,335	12,600
29	तेलंगाना	10,126	653
	कुल	**5,50,533**	**1,37,877**
संघ शासित प्रदेश			
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	**0.00**	**0.00**
31	दादरा एवं नगर हवेली	**0.00**	**0.00**
32	दमन एवं दिउ	**0.00**	**0.00**
33	दिल्ली	**0.00**	**0.00**
34	लक्षदीप	**0.00**	**0.00**
35	पुड्डुचेरी	**68.53**	**0.00**
	कुल योग	**5,50,601**	**1,37,877**

अनुलग्नक–VII

पीएमजीएसवाई आउटकम उपलब्धि 2017–18

क्र.सं.	राज्य	मार्च 18 तक जोड़ी गईं बसावटें	मार्च 18 तक पूरी की गई लंबाई (किमी)
1	आंध्र प्रदेश	22	154
2	अरुणाचल प्रदेश	20	1,132
3	असम	318	1,619
4	बिहार	3,337	5,227
5	छत्तीसगढ़	405	1,901
6	गोवा	0	0
7	गुजरात	11	50
8	हरियाणा	0	38
9	हिमाचल प्रदेश	66	1,777
10	जम्मू एवं कश्मीर	148	1,805
11	झारखंड	1,712	4,525
12	कर्नाटक	0	59
13	केरल	16	374
14	मध्य प्रदेश	1,668	5,222
15	महाराष्ट्र	32	570
16	मणिपुर	60	731
17	मेघालय	48	150
18	मिजोरम	0	237
19	नागालैंड	0	85
20	ओडिशा	1,759	7,176
21	पंजाब	0	852
22	राजस्थान	698	3,261
23	सिक्किम	4	419
24	तमिलनाडु	0	1,612
25	त्रिपुरा	33	313
26	उत्तर प्रदेश	32	4,106
27	उत्तराखंड	208	1,839
28	पश्चिम बंगाल	869	3,213
29	तेलंगाना	33	303
	कुल:	**11,499**	**48,751**
संघ शासित प्रदेश			
30	अंडमान-निकोबार	**0**	**0.00**
31	दादरा एवं नगर हवेली	**0**	**0.00**
32	दमन दीव	**0**	**0.00**
33	दिल्ली	**0**	**0.00**
34	लक्षद्वीप	**0**	**0.00**
35	पुडुचेरी	**0**	**0.00**
	कुल योग:	**11,499**	**48,751**

अनुलग्नक–VIII

अनु एवं वि कार्यों के तहत स्वीकृत लंबाई का राज्य वार ब्यौरा 2017–18

क्र. सं.	राज्य	कुल लक्षित अनु एवं वि लंबाई	अनु एवं वि के तहत पूरी की गई कुल लंबाई
क	ख	ग	घ
1	आंध्र प्रदेश	18.000	21.200
2	अरुणाचल प्रदेश	425.000	39.180
3	असम	433.000	154.131
4	बिहार	1,097.000	119.775
5	छत्तीसगढ	198.000	117.315
6	गोवा	0.000	0.000
7	गुजरात	33.000	54.296
8	हरियाणा	41.000	65.277
9	हिमाचल प्रदेश	448.000	71.375
10	जम्मू एवं कश्मीर	163.000	6.160
11	झारखंड	451.000	350.055
12	कर्नाटक	32.000	12.645
13	केरल	166.000	169.703
14	मध्य प्रदेश	790.000	1,170.887
15	महाराष्ट्र	195.000	101.940
16	मणिपुर	88.000	24.787
17	मेघालय	100.000	153.774
18	मिजोरम	152.000	6.358
19	नागालैंड	0.000	0.000
20	ओडिशा	1,575.000	855.194
21	पंजाब	216.000	274.090
22	राजस्थान	516.000	779.569
23	सिक्किम	100.000	38.237
24	तमिलनाडू	276.000	360.645
25	त्रिपुरा	102.000	17.937
26	उत्तर प्रदेश	1,649.000	548.894
27	उत्तराखंड	121.000	36.375
28	पश्चिम बंगाल	659.000	774.195
29	तेलंगाना	38.000	19.934
	कुल	**10,082.000**	**6,343.928**

अनुलग्नक–IX

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अनु एवं वि लक्ष्य तथा उपलब्धियां 2017–18

		लंबाई किमी में		
क्र.सं.	राज्य	पीएमजीएसवाई -I	पीएमजीएसवाई-II	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	5.355		5.355
2	आंध्र प्रदेश	166.111		166.111
3	अरुणाचल प्रदेश	43		43
4	असम	1744.821		1744.821
5	बिहार	926.29		926.29
6	छत्तीसगढ		1177.106	1177.106
7	गुजरात	14.39		14.39
8	हिमाचल प्रदेश	320.258		320.258
9	जम्मू एवं कश्मीर	128.67		128.67
10	झारखंड	1946.486		1946.486
11	केरल		174.055	174.055
12	मध्य प्रदेश	460.685	1336.244	1796.93
13	महाराष्ट्र	96.475		96.475
14	मणिपुर	521.39		521.39
15	मेघालय	266.593		266.593
16	मिजोरम	122.43		122.43
17	नागालैंड	217.74		217.74
18	ओडिसा	1873.55		1873.55
19	राजस्थान		804.615	804.615
20	सिक्किम	605.77		605.77
21	तमिलनाडु		471.638	471.638
22	त्रिपुरा	45.37		45.37
23	उत्तर प्रदेश		64.24	64.24
24	उत्तराखंड	328.717		328.717
25	पश्चिम बंगाल	1304.877		1304.877
26	तेलंगाना	591.436		591.436
	कुल योग	11,730.414	4,027.90	15758.31

अनुलग्नक–X

2017–18 के दौरान व्यय की स्थिति

मद शीर्ष एवं उद्देश्य	31 मार्च 2018 तक व्यय
(1.2.1) स्थापना	
(1.2.1.01) वेतन एवं भत्ते	**50300049**
(i) प्रतिनियुक्ति पर	24469942
(ii) सेवानिवृत्त अधिकारी	2581645
(iii) सहायक कार्मिक/अन्य	23248462
(1.2.1.03) समयोपरि भत्ते	26023
(1.2.1.04) चिकित्सा दावों पर व्यय	326150
कुल स्थापना	**50652222**
(1.2.2) प्रशासनिक खर्चे	
(1.2.2.01) कार्यालय रखरखाव/कर एवं शुल्क	3141361
(1.2.2.02) अंतर्देशीय यात्रा व्यय	4917657
(1.2.2.03) विदेश यात्रा व्यय	0
(1.2.2.04) वाहन किराये पर लेना	2628418
(1.2.2.05) मुद्रण तथा स्टेशनरी	516474
(1.2.2.06) बैठकों पर व्यय	828239
(1.2.2.07) लेखा-परीक्षकों को दी गई फीस	102980
(1.2.2.08) दूरभाष – कार्यालय	413383
(1.2.2.09) दूरभाष – आवासीय एवं मोबाइल	144203
(1.2.2.10) वाहन रखरखाव	764718
(1.2.2.11) बिजली व्यय	2239414
(1.2.2.12) डाक संबंधी व्यय	432404
(1.2.2.13) मरम्मत और रखरखाव	1140782
(1.2.2.14) बीमा प्रभार	0
(1.2.2.15) अन्य कार्यालयीन व्यय	2046976

(1.2.2.16) किराया, दरें एवं कर	14186724
कुल प्रशासनिक व्यय	**33503733**
(1.2.3) अनु एवं वि तथा मानव संसाधन विकास	
(1.2.3.01) प्रशिक्षण	24971987
(1.2.3.02) तकनीकी विकास तथा अनुसंधान कार्य	
(1.2.3.03) कार्यशालायें तथा संगोष्ठियां	8168420
(1.2.3.04) व्यावसायिक निकायों को योगदान	351500
(1.2.3.05) व्यावसायिक सेवाएं	5471134
कुल अनु एवं वि तथा मानव संसाधन विकास	**38963041**
(1.2.4) प्रकाशन, विज्ञापन एवं प्रचार	
(1.2.4.01) प्रकाशन	2658750
(1.2.4.02) विज्ञापन और प्रचार	142179
(1.2.4.03) किताबें, पत्रिकाएं और दृश्य-श्रव्य सामग्री	3950
कुल प्रकाशन, विज्ञापन एवं प्रचार	**2804879**
(1.2.5) एसटीए, पीटीए ओर एनक्यूएम	
(1.2.5.01) एनक्यूएम को मानदेय	
(1.2.5.02) एनक्यूएम के लिए यात्रा व्यय	
(1.2.5.03) प्रमुख तकनीक एजेंसी को भुगतना	
((1.2.5.04) राज्य तकनीकी एजेंसी को भुगतान	46161737
कुल एसटीए, पीटीए और एनक्यूएम	**46161737**
(1.2.6) ओएमएमएस और कम्प्यूटरीकरण	
(1.2.6.01) ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली का विकास-रखरखाव	9203675
(1.2.6.02) कम्प्यूटर और सहायक सामग्री किराए पर लेना	
(1.2.6.03) ई-प्रापण का विकास-रखरखाव	
कुल ओएमएमएस और कम्प्यूटरीकरण	**9203675**
(1.2.8) एडीबी से तकनीकी सहायता	
(1.2.8.01) परामर्शदात्री सेवाएं	10000000

(1.2.8.02) अन्य	
कुल एडीबी से तकनीकी सहायता	**10000000**
(1.2.9) विश्व बैंक ऋण (आरएफपी I)	**0**
क्षमता निर्माण	0
कुल विश्व बैंक ऋण	
(1.2.10) विश्व बैंक ऋण (आरआरपी II)	
(1.2.10.01) अनुसंधान एवं विकास	23018957
(1.2.10.02) निष्पादन एवं वित्तीय लेखा-परीक्षा का स्वतंत्र सत्यापन	77234836
(1.2.10.03) प्रशिक्षण	30948945
(1.2.10.04) उपस्कर	20000
(1.2.10.05) परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता	5424168
कुल विश्व बैंक ऋण (आरआरपीII)	**136646906**
(2.2) पूंजीगत व्यय	
(2.2.01) कार्यालय परिसर की खरीद/सौंदर्यकरण	0
(2.2.02) कार्यालय का फर्नीचर एवं अन्य सुविधाएं	
(2.2.03) वाहनों की खरीद	0
(2.2.04) उपस्करों एवं मशीनरी की खरीद	12800
(2.2.05) कम्प्यूटरों एवं अन्य सामग्री की खरीद	365185
कुल पूंजीगत व्यय	**377985**
ग्रामीण आवास	
(i) राज्यों को वितरित ऋण	73294300000
कुल	**73294300000**
कुल व्यय	**73622614178**

अनुलग्नक–XI-A

राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी
31 मार्च, 2018 को तुलन–पत्र (बैलेंस शीट)

पूंजीगत निधि तथा देनदारियां	शैड्यूल	2017-18	2016-17
पूंजीगत/समग्र निधि	1	5326,15,127.94	4692,25,290.93
ग्रामीण आवास के लिए नाबार्ड से ऋण	2	732943,00,000.00	-
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	4	437,95,143.00	69,72,551.00
कुल		**738707,10,270.94**	**4761,97,843.55**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	3	252,21,086.78	283,70,891.07
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	5	5511,89,184.16	4478,26,952.48
ग्रामीण आवास के लिए राज्यों को अग्रिम	2	732943,00,000.00	-
कुल		**738707,10,270.94**	**4761,97,843.55**
महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां एवं लेखों के लिए टिप्पणियां	12		

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट का अनुलग्नक
कृते जी.के. सुरेका एवं कंपनी
चार्टेड एकाउंटेंट्स

हस्ता./-
सीए खुर्रम जावेद
साझीदार

कृते राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी

हस्ता./-
(शांति प्रिया एस)
निदेशक (वित्त एवं प्र.)

हस्ता./-
(अलका उपाध्याय)
महानिदेशक

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक : 26.10.2018

अनुलग्नक–XI-B

राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली

शैड्यूल -12

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. इन लेखों की प्रस्तुति में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां इस प्रकार हैं:-

क. लेखांकन नीतियां (एएस-1)

इस वर्ष के दैरान, एजेंसी ने आईसीएआई ओर अन्य प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा जारी लेखांकन मानकों, भारत में लागू लेखांकन सिद्धांतो के साथ संचयी लेखांकन का पालन किया है।

ख. स्थायी परिसंपत्तियां (एएस-10)

स्थायी संपत्ति को मूल्य ह्रास को घटाकर दर्शाया गया है। लागत में अर्जन की लागत, सुधारने की लागत और इच्छित उपोयग की स्थित में लान के लिए खर्च की गई कोई भी लागत शामिल है।

ग. मूल्य ह्रास (एएस-6)

मूल्य ह्रास को भारतीय आयकर अधिनिमय, 1961 में विनिर्दिष्ट उल्लिखित डाउन मूल्य के अनुसार दिया गया है।

a. अनुदान (ए एस-12)

सोसायटी में विशिष्ट सहायता-अनुदान को व्यय-वर्ष के रूप में चिन्हित किया जाता है। सहायता-अनुदान विशिष्ट प्रयोजनों अर्थात राजस्व और स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद के लिए प्राप्त किए जाते हैं। राजस्व का लेखा-जोखा, आय और व्यय लेखे में व्यवस्थित आधार पर, संबंधित अभिप्रेत लागतों के साथ आवश्यक रूप से मेल खाने वाली अवधि के अनुरूप मान्य करते हुए रखा जाताहै। ऐसे सहायता-अनुदान को 'आय' लेखा शीर्ष के अंतर्गत अलग से 'सहायता-अनुदान' के रूप में दर्शाया जाता है।

अनुलग्नक–XI-C

राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

शैड्यूल – 12 (क)

लेखाओं पर टिप्पणियां

1. राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) (03/05/2017 तक राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी 'एनआरआरडीए' के रूप में जानी जाती थी) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। एजेंसी को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से सहायता-अनुदान ओर सहायता प्राप्त हुई।
2. एजेंसी को आगे राज्यों को वितरित करने के लिए नाबार्ड से रु. 7329,43,00,000/- का ऋण प्राप्त हुआ, राज्यों से इस ऋण के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र इकट्ठा/प्रस्तुत करना होता है।
3. कार्यालय परिसर जिसके लिए पिछले वर्षों के दौरान कुल 7,88,30,479.00/- रु. की राशि व्यय की गई है, का प्राधिकरण के समक्ष पंजीकरण अभी तक लंबित है। यह सब लीज़ भू एवं विकास अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली के पास लंबित है जिसके लिए सोसाइटी द्वारा एनबीसीसी को अनुरोध-पत्र भेजा गया है।
4. उपयोग प्रमाण-पत्र/संबंधित बिल प्राप्त नहीं होने के चलते अग्रिम भुगतान बकाया हैं।

विवरण	2016-17	जमा किया गया	घटाया गया	2017-18
1. प्रयोगशाला उपकरणों के लिए अग्रिम (विश्व बैंक)	418,843.00	0.00	0.00	418,843.00
2. तकनीकी विकास एवं अनुसंधान कार्य (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	2,538,750.00	0.00	0.00	2,538,750.00
3. कार्यशाला एवं सम्मलेन (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	2,662,440.00	3,021,160.00	1,509,664.00	4,173,936.00
4. अनुसंधान एवं विकास	75,667,709.00	4,346,400.00	0.00	80,014,109.00
5. प्रशिक्षण हेतु अग्रिम	17,725,040.00	1,918,560.00	167,400.00	19,476,200.00
6. प्रशिक्षण हेतु अग्रिम (विश्व बैंक)	23,754,907.00	11,458,440.00	5,460,960.00	29,752,387.00
7. पेशेवर सलाहकारों हेतु अग्रिम	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00
कुल	**123,023,689.00**	**20,744,560.00**	**7,138,024.00**	**136,630,225.00**

स्थान : नई दिल्ली	कृते जी.के. सुरेका एवं कंपनी चार्टेड एकाउंटेंट्स	कृते राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी	
दिनांक :			
	हस्ता./- सीए खुर्रम जावेद, साझीदार	हस्ता./- (शांति प्रिया एस)	हस्ता./- (अलका उपाध्याय)

26.10.2018

अनुलग्नक–XI-D

राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली
31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्त	2017-18	2016-17	भुगतान	2017-18	2016-17
आदि शेष			**पूंजीगत खाता**		
रोकड़	-	-	खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियां	3,97,985.00	6,78,667.00
बैंक शेष	2150,33,925.80	1604,28,336.30	नाबार्ड को ऋण चुकाया जाना	-	129998,88,780.00
सावधि जमा	1063,13,813.98	1414,00,975.00	नाबार्ड को अदा ब्याज	-	6793,87,867.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुदान			**अन्य व्यय**		
a) व्यय के लिए	3750,00,000.00	4700,00,000.00	संस्थापन व्यय	506,49,582.00	438,44,877.00
b) नाबार्ड को ऋण चुकाने के लिए	-	129998,88,780.00	प्रशासनिक व्यय	1383,97,515.50	1580,81,113.00
c) नाबार्ड को ब्याज का भुगतान	-	6793,87,867.00	विश्व बैंक ब्यय	1167,46,378.00	2245,81,996.00
d) नाबार्ड से ग्रामीण आवास ऋण के लिए	732943,00,000.00		नाबार्ड से ग्रामीण विकास ऋ हेतु	732943,00,000.00	
e) नाबार्ड ऋण खाते से प्राप्त ब्याज के लिए	246,76,362.00				

अन्य आय			पिछले वर्ष का अदा टीडीएस	14,80,562.00	21,88,589.00
ब्याज से आय	65,62,536.00	100,56,804.48		-	
अन्य प्राप्तियां	52,70,231.00		दिए गए प्रतिभूति जमा	-	18,300.00
			लेनदार	-	16,000.00
रिफंड – राज्यों से	-	247,66,475.00	अन्य अग्रिम	136,06,536.00	560,09,662.00
वसूली गई राशि	1,88,172.00	26,380.00	**अंत शेष**		
			रोकड़	-	
छिट-पुट प्राप्तियां	5,42,336.00	87,973.00	बैंक शेष	248,92,576.80	2150,33,925.80
			सावधि जमा	3874,16,241.48	1063,13,813.98
	740278,87,376.78	**144860,43,590.78**		**740278,87,376.78**	**144860,43,590.78**

कृते जी.के. सुरेका एवं कंपनी
चार्टेड एकाउंटेट्स

कृते राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी

(Alka Upadhyaya)
Director General

हस्ता./-
सीए खुर्रम जावेद

हस्ता./-
(शांति प्रिया एस)

हस्ता./-
(अलका उपाध्याय)

अनुलग्नक–XI-E

राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय–व्यय लेखा

राशि रु. में

आय	शैड्यूल	2017-18	2016-17
सहायता अनुदान	6	3750,00,000.00	9184,90,821.21
प्राप्त ब्याज	7	55,17,653.00	121,24,565.00
छिटपुट प्राप्तियां एवं पिछली अवधि का समायोजना	8	5,42,336.00	87,973.00
कुल (क)		3810,59,989.00	9307,03,359.21
व्यय			
नाबार्ड को अदा किया गया ब्याज		-	6793,87,867.00
संस्थापना व्यय	9	506,52,222.00	438,61,068.00
प्रशासनिक व्यय	10	1371,87,116.50	1572,35,953.00
विश्व बैंक परियोजना सहायता	11	1262,83,026.00	2228,31,125.00
मूल्य ह्रास	3	35,47,787.09	40,27,940.25
कुल (ख)		3176,70,151.59	11073,43,953.25
व्यय/आय की तुलना में आय/व्यय की अधिकता की स्थिति में शेष राशि (क-ख)		633,89,837.41	(1766,40,594.04)
पूंजीगत/समग्र निधि में अंतरित		633,89,837.41	(1766,40,594.04)

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.के सुरेका एवं कंपनी
चार्टेड एकाउंटेट्स

कृते राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी

हस्ता./-
सीए खुर्रम जावेद
साझीदार

हस्ता./-
(शांति प्रिया एस)
निदेशक (वित्त एवं प्रशा.)

हस्ता./-
(अलका उपाध्याय)
महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.10.2018

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय ग्रामीण अवसरचना विकास एजेंसी
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार